हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक शुक्रवार, दिनांक 05 दिसम्बर, 2025 को माननीय अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में विधान सभा भवन, तपोवन धर्मशाला में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्नकाल

तारांकित प्रश्न

5.12.2025/1100/डी.सी./ए.पी./01

अध्यक्ष : प्रश्न काल आरम्भ।

प्रश्न संख्या : 2656 (स्थगित)

माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

प्रश्न संख्या : 3027 (स्थगित)

माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

प्रश्न संख्या : 3300 (स्थगित)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, सूचना एकत्रित की जा रही है, यह रोजमर्रा की बात हो गई है। जो भी सूचना इस माननीय सदन में पूछी जा रही वह हमें उपलब्ध नहीं करवाई जा रही अब अध्यक्ष महोदय, आप ही व्यवस्था दें की हम सब विधायक जाएं कहां? यह जो प्रश्न मैंने पूछा है इसमें कोई इस प्रकार की जानकारी नहीं मांगी गई है जिसकी सूचना एकत्रित करनी पड़ जाए। सरकार के द्वारा कुछ संस्थान बंद किए, कुछ संस्थानों का रेशनेलाइजेशन किया गया है और कुछ संस्थान डिनोटिफाइड किए गये हैं- ये तीन कैटेगरीज हैं। जो संस्थान बंद किए जाते हैं उनके लिए बाकायदा नोटिफिकेशन की जाती है। यह जानकारी तो जो-जो नोटिफिकेशन्ज सरकार द्वारा इस संदर्भ मे दी गईं हैं, उनके आधार पर ली जा सकती है, क्योंकि इसका रिकार्ड तो एक ही जगह पर उपलब्ध होगा। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं रिकार्ड देखकर जो प्रश्न मेरे द्वारा पूछा गया है उसका उत्तर देना कोई बहुत ज्यादा सूचना एकत्रित करने से नहीं जुड़ा है। मुझे तो लग रहा है कि सरकार इस संबंध में सूचना देना उचित नहीं समझ रही और अगर सूचना को छिपाने का प्रयत्न किया जा रहा है तो प्रश्न तो सरकार की मंशा पर खड़े होते ही हैं। सरकार की मंशा क्या है, सरकार यह सूचना क्यों छिपाना चाहती है? सरकार हर रोज संस्थान बंद करने को लेकर फजीहत हो रही है और सरकार की बदनामी भी हो रही है। बदनामी से बचने के लिए सरकार के द्वारा यह प्रयत्न किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह बहुत ही सरल

प्रश्न है और मेरे अतिरिक्त दो अन्य माननीय सदस्यों ने भी इसी प्रकार का प्रश्न पूछा है। इसमें सूचना देने में सरकार को क्या कठिनाई है?

मुख्य मंत्री श्री ए0टी0द्वारा जारी...

05.12.2025/1105/AT/DC.01

प्रश्न संख्या 3806 जारी .....

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, अगले साल के सत्र में सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी।

प्रश्न संख्या - 3806

श्री सतपाल सिंह सत्ती: अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के माध्यम से मैंने जानकारी मांगी है कि जिलों के अंदर जो कैदी हैं उन्हें ले जाने के लिए जिले की पुलिस तैनात की जाती है। उनकी सेवाएं लेकर कैदियों को कोर्ट तक पहुंचाया जाता है। लेकिन समस्या यह है कि जिलों में पुलिस की कई पोस्टें खाली हैं। जैसे ऊना जिले में लगभग 100 पोस्ट खाली हैं। वहां कुल लगभग 600 पोस्ट हैं और 500 के करीब भरी हुई हैं। जब पुलिस कर्मियों द्वारा इन कैदियों को लेकर जाना पड़ता है तो जिला पुलिस चौकियों और हेड क्वार्टर में पुलिस बल की कमी हो जाती है जिस कारण कानून एवं व्यवस्था को संभालने में दिक्कत आती है। इसलिए मैंने आदरणीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहा है कि क्या ऐसे मामलों में हमारी बटालियन के स्टाफ की सेवाएं भी ली जा सकती हैं और इसके अलावा कई कैदियों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी की जा सकती है, क्या आने वाले समय में ऐसा प्रावधान किया जाएगा ताकि जिला में मौजूद पुलिस बल को अपने बाकी काम करने में कोई कठिनाई न हो।

मुख्य मंत्री: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी ने बिल्कुल सही सुझाव दिया है। कई बार ऐसे कैदी होते हैं जिनकी आवाजाही से कानून व्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करवाने का प्रावधान करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला पुलिस के अतिरिक्त बटालियन की सेवाएं भी ली

जा सकती हैं। निश्चित रूप से हाई कोर्ट ने भी वी0सी0 को लेकर नियम बनाए हैं, और हम वी0सी0 के माध्यम से सुनवाई करवाएंगे। आपने बटालियन की सेवाएं लेने का जो सुझाव दिया है, वह अच्छा सुझाव है। सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी।

05.12.2025/1105/AT/DC.02

प्रश्न संख्या - 3807

माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

प्रश्न संख्या - 3808

माननीय सदस्य ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

प्रश्न संख्याः 3809

श्री चंद्र शेखरः अध्यक्ष जी, यह मसला बहुत महत्वपूर्ण है। इसके माध्यम से मैं यह जानना चाहता हूँ कि एन0जी0टी0 ने किसी विशेष होटल को लेकर एक आदेश पास किया है।

एम0डी0द्वारा जारी .....

05-12-2025/1110/HK/MD/1

प्रश्न संख्या : 3809---जारी

श्री चंद्र शेखर---जारी

अध्यक्ष महोदय, उस आदेश को क्रियान्वित करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से डिप्टी कमिश्नर, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग, प्लानिंग विभाग तथा अन्य एजेंसियों ने बाकायदा एफिडेविट दायर किए और अपने उत्तर में यह भी बताया कि आदेश को पूर्णतः लागू कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मजेदार बात तो यह है कि जब कोई

प्रभावशाली व्यक्ति स्वयं कानून का उल्लंघन कर ले और कानून का मजाक उड़ाए, तो उसकी आड़ में हजारों लोग ऐसा करने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। यह इसका एक जीवंत उदाहरण है। हमने यह विषय आपके माध्यम से सदन के समक्ष रखा है। अभी भी स्थिति यह है कि जिस होटल की दो मंज़िला निर्माण को तोड़े जाने का स्पष्ट आदेश था, वह आज तक नहीं तोड़ा गया। जो कहा गया था कि 1915 वर्गमीटर का सरफेस एरिया बढ़कर 3571 वर्गफीट हो गया, उसका भी पालन नहीं हुआ। साथ ही, जो लगभग 1000 पौधे काटे गए थे, उन्हें दोबारा लगाने की बात कही गई थी वह भी नहीं किया गया। हम यह जानना चाहते हैं कि यह निर्माण कब बढ़ाया गया? सरफेस एरिया कब दोगुना हो गया? 1000 पौधे कब लगाए गए? किस दबाव में डिप्टी कमिश्नर से सुप्रीम कोर्ट और एन0जी0टी0 में झूठे एफिडेविट दिलवाए गए? यह एक गंभीर जांच का विषय है। यदि इस मामले की ठीक से जांच की जाए तो ऐसे कई और मामले उजागर होंगे, जो इसी आड़ में किए गए हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि क्या सरकार इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और व्यापक जांच करवाएगी? एन0जी0टी0 को गुमराह किया गया, अनावश्यक दबाव डाला गया, झूठे एफिडेविट दिए गए, भूमि उपयोग तक बदल दिया गया, फॉरैस्ट लैंड को कमर्शियल दिखा दिया गया। एफिडेविट में यह कहा गया कि संरचना बना दी गई है, इसलिए इसकी अनुमति दे दी जाए। यदि हिमाचल प्रदेश में इसी प्रकार फॉरैस्ट भूमि को मनचाहे ढंग से बदलकर अनुमति दी जाने लगेगी, तो वह 1 लाख 60 हजार लोग, जो कोर्ट में अपने मामलों के लिए भटक रहे हैं, उनके मसले भी इसी तरह निपटा दिए जाएंगे। इससे तो पूरा सिस्टम ही मज़ाक बन जाएगा। अतः मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि क्या सरकार इस मामले में निष्पक्ष जांच करवाएगी, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके?

05-12-2025/1110/HK/MD/2

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी द्वारा पूछे गए प्रश्न के संदर्भ में विभाग ने विस्तृत उत्तर प्रस्तुत किया है। यह मामला मनाली वैली होटल से संबंधित है। इसमें वायलेशन की रिपोर्ट हुई थी और इस पर एन0जी0टी0 ने संज्ञान लिया था। उल्लंघनों का पूरा विवरण अनुबंध-क में संलग्न किया गया है। इस मामले में एक डबल-स्टोरी संरचना का निर्माण किया गया था, जिसका कुल क्षेत्रफल 91.35

वर्गमीटर था, जो कुल्लू की तरफ बनाया गया था। इसके अतिरिक्त मनाली साइड में प्रत्येक फ़्लोर पर 34 वर्गमीटर का अवैध निर्माण भी किया गया था। इसके साथ-साथ पार्किंग क्षेत्र को हैबिटेबल फ़्लोर में परिवर्तित कर दिया गया था। ऊपर की तरफ बनाए गए एटिक को भी एक पूर्ण मंज़िल के रूप में उपयोग किया गया। ये सभी वायलेशन रिपोर्ट हुए थे। एन0जी0टी0 ने दिनांक 5 दिसंबर 2017 को अपना आदेश जारी किया था। उसके अनुसार जो डबल-स्टोरी अनधिकृत निर्माण था, जिसे अनुमति प्राप्त नहीं थी, उसे ध्वस्त कर दिया गया है। जो पार्किंग क्षेत्र को हैबिटेबल फ्लोर में बदला गया था, उसे पुनः पार्किंग में परिवर्तित कर दिया गया है। जो स्लोपिंग रूफ को मंज़िल की तरह उपयोग किया गया था, उसे भी नियमानुसार हटाने की कार्रवाई शुरू की गई थी, जैसा कि प्राप्त उत्तर में बताया गया है। जहां तक भूमि उपयोग परिवर्तन का प्रश्न है, उसमें सी0एल0यू0 की अनुमति टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा प्रदान की गई थी, और उसी के अनुसार आगे का कार्य किया गया। लेकिन जो वायलेंस,

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

05/12/2025/1115/केएस/एचके/1

प्रश्न संख्या : 3809 जारी ---

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री जारी : ...

लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, वही वायलेशन रिपोर्ट की गई थी। उसके ऊपर एन.जी.टी. के ऑर्डज़ की कॉम्लायंस भी हो गई है। उसके बाद यह युनिट ऑप्रेशनलाइज़ हो गई है। जो नई इंफोर्मेशन माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी ने दी कि वन भूमि को भी कन्वर्ट कर दिया है तो वह कैसे हुई है मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। उसकी जानकारी ले कर इनको बता दिया जाएगा लेकिन to my mind it cannot be converted. Forest land cannot be converted with any other land which is not forest land. **यह कैसे हुआ है, यह जांच का विषय है और इसकी जांच करवाकर उसकी रिपोर्ट माननीय सदन को भी और माननीय सदस्य श्री चंद्र शेखर जी को भी दे दी जाएगी।**

श्री चंद्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने तो इनके विभाग से जुड़े हुए मसले के बारे में कहा लेकिन असल खेल तो रेवन्यू में हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि स्थितियां तब स्पष्ट होंगी जब टाउन एण्ड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमैंट, रेवन्यू डिपार्टमैंट के साथ मिलकर इसकी जांच करे। अगर यह जांच एक तरफा होगी तो उसी तरह की गड़बड़ बन कर रह जाएगी जिस तरह की यह अभी तक चली है। मैं इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी से हस्तक्षेप चाहता हूं। मैं संरक्षण चाहता हूं कि जो विषय दो-तीन विभागों से जुड़े हुए हैं, क्योंकि डी0आर0ओ0 अपनी रिपोर्ट नहीं देता,तहसीलदार अपनी रिपोर्ट नहीं देता और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग अपने आप को बचता-बचाता निकल जाता है। तो ये दो तीन विषय हैं जो इस वक्त इकट्ठा हुए हैं और अगर इसी पैटरन पर बातें बढ़ेंगी तो फिर ये बहुत आगे तक जाएंगी। मेरा सरकार से आग्रह है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। केवल एक विभाग ही इसके ऊपर काम न करे बल्कि रेवन्यू डिपार्टमैंट के अंदर ही असली खेल हुआ है, तो रेवन्यू विभाग भी इसमें हस्तक्षेप करें और इस कमेटी को उस तरह से गठित किया जाए।

05/12/2025/1115/केएस/एचके/2

नगर एवं ग्राम योजना मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्लांट्स से सम्बन्धित बात कही थी, यह रिप्लाई में दिया गया है कि 1000 प्लांट्स निजी और वन भूमि पर लगाएंगे। विभाग की तरफ से उत्तर आया है कि इसमें प्लांटेशन हो गई है और वे लोग उनकी मेंटिनेंस भी कर रहे हैं। बाकी जो इन्होंने बात कही है, **कुछ और बिंदु जो हमारे इस रिप्लाई में कवर नहीं हैं, उन पर निश्चित तौर पर जांच करवाएंगे और माननीय सदन और माननीय सदस्य को उस जांच से अवगत करवाएंगे।**

05/12/2025/1115/केएस/एचके/3

प्रश्न संख्या 3810

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हम जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम सभी सदस्यों की इस तरह से जलालत कब तक होती रहेगी? हम हर रोज़ प्रश्न पूछते हैं और सत्ता पक्ष की ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि प्रश्न काल बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप भी आग्रह करते हैं और हम भी ऐसा ही मानते हैं लेकिन उसके बाद जब हम प्रश्न

पूछते हैं तो उसका उत्तर हमें नहीं मिलता। जो कि स्वाभाविक रूप से हम सबके लिए चिंता का विषय है। मेरे इस बार जितने भी प्रश्न लगे हैं, एक प्रश्न को छोड़कर बाकी जो मेरा स्थगित प्रश्न भी है, उसके सम्बन्ध में भी सूचना ही एकत्रित की जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी के पास यह सूचना ही नहीं है और यह कितनी लम्बी सूचना है? हमने सिर्फ यही पूछा है कि क्या सरकार ने आई0पी0आर0 या किसी अन्य माध्यम से कोई आउटसोर्स एजेंसी हायर की है? यदि हां, तो उनकी सेवा शर्तें एवं दिनांक 31.10.2025 तक के भुगतान का ब्यौरा दें। इसमें कौन सी लम्बी सूचना है? अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे अलाउ करें, और अगर इनके पास सचूना नहीं है तो मैं यह सूचना दे देता हूं। मेरे पास आर0टी0आई0 के माध्यम से जो सूचना उपलब्ध है, मैं उसको रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष : जय राम जी, प्रश्न का जवाब आया है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। अब आपके पास जब सूचना है...(व्यवधान) ठाकुर साहब, मैं कुछ और बोल रहा हूं। अगर आपके सूचना है ही तो फिर तो प्रश्न ही नहीं बनता।

अ0व0 द्वारा जारी ---

05.12.2025/1120/av/yk/1

प्रश्न संख्या : 3810------ क्रमागत

अध्यक्ष : जारी

...(व्यवधान) अगर आपके पास सूचना थी, ...(व्यवधान) नहीं, फिर आपको दूसरे तरीके से पूछना चाहिए था। ...(व्यवधान) Shri Jai Ram Thakur ji, please take your seat. आप एक मिनट बैठ जाइए। ऐसा है, इस प्रश्न के उत्तर में सरकार कह रही है कि सूचना एकत्रित की जा रही है। आप कह रहे हैं कि सूचना उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है, तो माननीय मुख्य मंत्री आपको बता देंगे कि ये आपको सूचना कब तक उपलब्ध करवा देंगे। अब आप अनुपूरक प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो यह पूछिए कि आप सूचना कब तक उपलब्ध करवा देंगे। आप यह अनुपूरक प्रश्न पूछिए कि मेरी जानकारी के मुताबिक यह सूचना है, तो क्या सरकार इसकी पूष्टि करती है या नहीं करती है? This is a question, you ask just supplementary.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) एक सदस्य होने के नाते, ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : यह इन्होंने थोड़ी डिसाइड करना, वह मैंने बोल दिया है। अनुपूरक प्रश्न बनता है और आपको उसकी अनुमति दे दी है। ...(व्यवधान) मैंने आपको समय दे दिया है। This is me to decide and I have given you a chance.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मेरी सूचना के अनुसार सरकार की स्वीकृति के पश्चात Art-E Mediatech, पूर्वी दिल्ली-110092 प्रोफैशनल एजेंसी को आउटसोर्स पर हायर किया गया। इस सूचना को देने में क्या कठिनाई थी? क्या यह सत्य है? यदि हां, तो क्या आप इस बात को सुनिश्चित करेंगे?

दूसरा, क्या यह सत्य है कि संबंधित एजेंसी का चयन निविदा के माध्यम से किया गया है? आप हमें इसके बारे में भी सूचना दीजिए। तीसरा, मैं माननीय मुख्य मंत्री से यह भी पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि संबंधित एजेंसी को प्रति माह 12,98000/- रुपये जी0एस0टी0 सहित दिए जा रहे हैं? मई, 2025 तक 1,89,94,067/-रुपये का भुगतान किया जा चुका है? अगर यह सत्य है तो क्या आपने इस एजेंसी के ऊपर भारतीय जनता

05.12.2025/1120/av/yk/2

पार्टी के नेताओं की इज्जत को मिट्टी में मिलाने का काम भी छोड़ा है। इस एजेंसी द्वारा कुछेक पेज चलाए जा रहे हैं। हमने उस बारे में एफ0आई0आर0 दर्ज की है और एफ0आई0आर0 दर्ज करने के बाद आपने दूसरे दिन वहां से एस0पी0 को बदल दिया। हमने जब यह कहा कि इन पेजिज को बंद कर दीजिए। उसमें इतना घटिया स्तर का मटीरियल डाला जाता है जिसको कोई आदमी न सुन सकता है और न ही पढ़ सकता है। उसमें वह काम सिर्फ हमें गाली-गलौज और हमारी इज्जत को मिट्टी में मिलाने के लिए किया जा रहा है। क्या आपने उस एजेंसी को यह काम भी सौंपा है और क्या सरकार का स्तर इतना नीचे चला गया है? आप अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने व उनके प्रचार-प्रसार के लिए काम कीजिए, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने गाली देने के लिए वह एजेंसी हायर की है।

अध्यक्ष महोदय, हमारे लोग आर0टी0आई0 से सूचना लेने के लिए क्यों विवश हो रहे हैं? वह इसलिए हो रहे हैं क्योंकि यहां पर सूचना छिपाई जाती है।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप केवल यह जवाब दीजिए कि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जिस सूचना की बात की है, क्या आप उसकी पुष्टि करते हैं या नहीं करते?

मुख्य मंत्री :**टी सी द्वारा जारी**

05.12.2025/1125/टी0सी0वी0/ वाई0के0/-1

प्रश्न संख्या : 3810.... क्रमागत्

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं विधान सभा सचिवालय का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि जिस पारदर्शिता से आप विपक्ष के सहारे सवाल लगाए जाते हैं वह सराहनीय है। आज श्री जय राम ठाकुर जी के तीन सवाल लगे हैं। यह आपकी ईमानदारी का परिचय है कि आप विपक्ष के सवाल जैसे वे आते हैं वैसे ही विधान सभा में लगाते हैं। इसके लिए मैं विधान सभा सचिवालय का धन्यवाद करना चाहता हूं। यह एक अच्छी बात है इसलिए आप विधान सभा, अध्यक्ष को नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आपके सारे सवाल लग रहे हैं। सूचना एकत्रित करने वाले प्रश्न भी लग हैं और सूचना सभा पटल पर रखने वाले प्रश्न भी लग रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में यह पहली बार हुआ है कि विपक्ष की आवाज कभी भी दबाई नहीं गई और इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, यह पैसों का मामला है और मुझे सत्य बोलना है इसलिए पूरी सूचना अगले बजट सैशन में उपलब्ध करवा दी जाएगी। तीसरा, कोई ऐसी सूचना जिससे इनको लगता है कि ठेस पहुंचती है तो हम उसका पता करेंगे कि ऐसी कौन-सी एजेंसी है क्योंकि मुझे इन एजेंसियों के बारे में पता नहीं है। डी0पी0आर0 में एक मॉनिटरिंग एजेंसी है जो सभी प्रकार के कार्य देखती है और डी0पी0आर0 में भी अभी व्यवस्था परिवर्तन की मीटिंग होनी है तथा वहां भी पूरा व्यवस्था परिवर्तन होना है। डी0पी0आर0 का

भी एक सिस्टम है कि किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी के साथ आगे बढ़ा जाए। ये सारी जानकारी इनको बजट सत्र में फैक्ट्स के साथ उपलब्ध करवा दी जाएंगी लेकिन मैं इन पर विश्वास नहीं कर सकता क्योंकि मुझे सत्य बोलना है इसलिए अगले बजट सैशन में इस सदन के पटल पर पूर्व मुख्य मंत्री को पूरी सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। ...(व्यवधान) आपने कहा कि आप निश्चित हो जाइए, एक-एक चीज जो आपने पढ़ी है उसका कागज आप ले कर देंगे तो मैं उसको भी वेरीफाई कर दूंगा लेकिन ऐसी सूचना जो इन्होंने पढ़ी है, मैं उनके आधार पर जवाब नहीं दे सकता। मैं उसको फैक्ट्स के हिसाब से और जब डी0पी0आर0 की पूरी रिपोर्ट आएगी तब उपलब्ध करवा पाऊंगा।

05.12.2025/1125/टी0सी0वी0/ वाई0के0/-2

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन की गरिमा है और मुझे लगता है कि कोई भी माननीय सदस्य नहीं चाहेगा कि सदन की गरिमा को सदन के अंदर गलत जानकारी देकर चोट पहुंचाई जाए और वह भी सरकार का मुखिया इस बात को करें। इस सदन के सदस्य होने के नाते यह हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। (***)

Speaker : This will not be a part of the record. ...(Interruption) The statement, which you are making, will not be a part of the record.

Shri Jai Ram Thakur : Hon'ble Speaker, why? How can it not be a part of the record?

Speaker : Because you have to ask the supplementary. क्योंकि इन्होंने कहा है कि आपने जो सूचना दी है, मैं इसकी पुष्टि करके अगले सत्र में माननीय सदन के सभा पटल पर रखूंगा। यह इन्होंने आश्वासन दे दिया है इसलिए आप सप्लीमेंटरी पूछिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री से पूछना चाहता हूं कि मेरी व्यक्तिगत रूप से भी आपसे बात हुई है और मैंने कहा था कि आप अपनी योजनाओं का प्रचार करें लेकिन आपने जो कुछ पेजिज चलाए हैं उससे आपकी छवि

खराब हो रही है क्योंकि उन पेजिज को चलाने वाले व्यक्तियों को आप तनख्वाह दे रहे हैं। आप हर महीने उनको तनख्वाह दे रहे है और वह आपके एंगेज किए हुए कर्मचारी हैं। मैंने एक दिन जिक्र भी किया था कि (***)आप जो मर्जी मेरे खिलाफ बोलना चाहते हैं, बोलिए क्योंकि लोकतंत्र है। लेकिन एजेंसी का इस्तेमाल करके इस प्रकार से क्यों कर रहे हैं?

05.12.2025/1125/टी0सी0वी0/ वाई0के0/-3

अध्यक्ष महोदय, यह मैं मुख्य मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या आप यह सुनिश्चित करेंगे कि जो एफ0आई0आर0 दर्ज़ की गई है, उस पर कार्रवाई करेंगे और हमारे खिलाफ गाली-गलौच करने के लिए जिन पेजिज पर रोजाना 4-5 मटीरियल डाले जाते हैं उन्हें बंद करने के आदेश देंगे?

मुख्य मंत्री एन0एस0 द्वारा शुरू ....

05-12-2025/1130/NS-AG/1

प्रश्न संख्या : 3810 ----क्रमागत

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कौन-सा पेज चल रहा है और किस प्रकार का पेज चल रहा है और अगर कोई इन पर टिप्पणी करेगा तो मैं उनको कहूंगा कि किसी पर व्यक्तिगत तौर पर टिप्पणी न की जाए। मैं डी0पी0आर0 से पता करके बताऊंगा। बी0जे0पी0 ने जो एजैंसी चलाई है मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। अब मैं बच्चों के साथ घूमने गया और मैंने कहा कि राधे-राधे क्यों बोलते हैं और इसका क्या अर्थ है तथा किस संदर्भ में बोला जाता है? हम वृन्दावन में राधे-राधे बोलते हैं। इन्होंने उसको कट करके नेशनल मीडिया में चला दिया। ये लोग अपनी बारी भी देखा करें अगर आप हम लोगों को ऐसा कहते हैं। **आपके ऊपर अगर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी होती है तो मैं एश्योर करूंगा कि हमारी किसी एजैंसी द्वारा न की जाए।** एक बात ये यशपाल शर्मा जी के बारे में बार-बार कहते हैं। यशपाल शर्मा जी सरकार द्वारा अप्वायंट किए गए हैं और मेरे प्रैस सेक्रेटरी हैं। वे किसी एजैंसी को नहीं चलाते हैं। वे हमारी न्यूज की रिपोर्टिंग करते हैं। यह कहना कि उनकी एजैंसी है यह गलत बात है। इन्होंने जो भी सूचना जिस भी एजैंसी के बारे में एकत्रित की है इनको इस संदर्भ में

निश्चिंत रहना चाहिए। मैंने इसलिए बजट सत्र बोला। दो महीने बाद बजट सत्र है और आपको पूरी सूचना दे दी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए। आपके खिलाफ व्यक्तिगत टिप्पणी अगर आएगी और किसी एजैंसी ने की होगी तो मैं उनको कहूंगा कि आप पूर्व मुख्य मंत्री जी के खिलाफ इस प्रकार की टिप्पिणयों से बचा करें। मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री जय राम ठाकुरः जो गाली देने वाला पेज चला कर रखते हैं क्या उसको बंद करेंगे?

मुख्य मंत्री : ऐसा कोई गाली वाला पेज नहीं है। यह कांग्रेस पार्टी की संस्कृति नहीं है और यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है कि इस प्रकार से किया जाए। जो भी आपके प्रति गलत बात हुई होगी या गलत लिखा होगा उसको देख लेंगे।

अध्यक्ष : उसकी छानबीन करके उपयुक्त फैसला लें।

05-12-2025/1130/NS-AG/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि आपके ऑफिस में एक सोशल मीडिया का सैल बना हुआ है। आप देखना उसमें किसी के खिलाफ कुछ नहीं होगा लेकिन मेरे खिलाफ हर कुछ बोला होगा। पर चलिए, ये सब चीजें राजनीति में चलती हैं और इन चीजों को हमें देखना भी पड़ता है। **मैं इनको आश्वासन देता हूं कि सरकार की एजैंसी से अगर इनके बारे में कोई ऐसी बात होगी तो मैं डी0पी0आर0 को डॉयरेक्शन दूंगा कि इस प्रकार की टिप्पणी न करें।**

05-12-2025/1130/NS-AG/3

प्रश्न संख्या : 3811

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के 'क' भाग के जवाब में कहा गया है कि वर्तमान में हिमकेयर योजना के तहत लाभार्थियों को वर्ष के चार महीनों मार्च, जून, सितम्बर और दिसम्बर में कार्ड बनाने की सुविधा दी गई है। इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति का इन चार महीनों में कार्ड नहीं बना हो तो आपातकाल की स्थिति में मेडिकल कॉलेज में प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से यह कार्ड 100 पात्र व्यक्तियों के बनाये जा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी को कहना

चाहता हूं कि ठीक है, आपने सूचना दी है कि 100 कार्ड मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से बनाए जा रहे हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। आज की तारीख में मरीज जब भी हॉस्पिटल जाता है जिसके पास हिमकेयर कार्ड नहीं होता है उसको सीधे तौर पर कहा जाता है कि आपके पास कार्ड नहीं है और आपको मार्च, जून, सितम्बर या दिसम्बर माह तक इंतजार करना पड़ेगा। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से पूर्व सरकार के समय 365 दिन कार्ड बनते थे तो क्या वर्तमान सरकार इस बात को सुनिश्चित करेगी कि फिर उसी तरह से कार्ड बनें? दूसरा, इन्होंने यह भी

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.12.2025/1135/RKS/AG-1

प्रश्न संख्याः 3811... जारी

श्री विनोद कुमार... जारी

कहा कि वर्तमान में लोगों को इस योजना के तहत अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा का लाभ मिल रहा है। माननीय मंत्री जी आप यह भी पता करवाएं कि मेडिकल कॉलेजिज के अंदर हर रोज कितने रोगी उपचार हेतु आते हैं। जो रोगी अपना उपचार करवाने के लिए अस्पताल जाते हैं उनमें 90 प्रतिशत ऐसे हैं जिन्हें हिमकेयर योजना के अंतर्गत लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसलिए सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जिनके हिमकेयर कार्ड बने हैं उनका इलाज फ्री में होना चाहिए।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय माननीय सदस्य ने जो चिंता जाहिर की है अगर उसमें आप प्रश्न के उत्तर को ध्यान से पढ़ें तो अस्पताल के प्रधानाचार्य और चिकित्सा अधीक्षक एक वर्ष में 100 पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनाने के लिए सक्षम हैं। I just read out that total cards made by the hospital are 92 i.e. Bilaspur - 28, Chamba - 12, Kangra - 19, Kullu - 14, Lahaul - 2, Mandi - 6, Shimla - 9, and Una - 2. जब कार्ड उपलब्ध न हों तो ऐसी स्थिति में उन्हें यह प्रोविजन दिया गया है।

दूसरी बात इन्होंने कही कि free treatment should be available. वर्तमान में इस योजना के तहत लोगों को अस्पताल में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है। If there are any cases where it has been denied, I will ask the Hon'ble Member to please let me know, we shall go into this.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य आप स्पेसिफिकली प्रतिपूरक प्रश्न ही पूछना क्योंकि माननीय मंत्री जी ने कह दिया है कि हिमकेयर कार्ड बनाने की पावर प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक को दे दी गई है।

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी है कि हमने प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक को हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए ऑथोराइज किया है। लेकिन इसमें एक कंडिशन है। शायद विभाग वालों ने इसके बारे में मंत्री जी को नहीं बताया है। विभाग वाले मंत्री जी को गलत गुमराह कर रहे हैं। प्रधानाचार्य/चिकित्सा अधीक्षक के माध्यम से उसी व्यक्ति का कार्ड बन रहा है जिसने

05.12.2025/1135/RKS/AG-2

मनरेगा के तहत 50 दिन लगाए हैं। ये (***) बोल रहे हैं या इनको डिपार्टमेंट गुमराह कर रहा है।

Speaker: This is the information which you are giving, you cannot accuse like this. (***) शब्द प्रोसिंडिंग का पार्ट नहीं होगा।

श्री विनोद कुमार : सर, ये (***) बोल रहे हैं।

अध्यक्ष : (***) शब्द भी प्रोसिडिंग का पार्ट नहीं होगा। This is the information which you are giving to the Hon'ble Minister. You can say like that.

श्री विनोद कुमार : मैंने अनकों रोगियों के बारे में माननीय मंत्री जी से बात की है। जिस व्यक्ति के मनरेगा के तहत 50 दिन पूरे नहीं होते उसका कार्ड नहीं बनता।

Speaker: This is your information. Let the Hon'ble Minister clarify.

श्री विनोद कुमार : अध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल/ एम0 एस0 के पास कार्ड बनाने के लिए जाता है उसका कार्ड उसी समय बनना सुनिश्चित किया जाए। इस पर मनरेगा के काम की कंडिशन नहीं लगनी चाहिए। यही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष : अब माननीय मंत्री जी इसके बारे में स्पष्टीकरण दे दें। वैसे ऐसी कोई कंडिशन नहीं है। Sh. Vinod Kumarji, let the Hon'ble Minister reply, thereafter I will give you a chance.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक मनरेगा के मजदूरों का प्रश्न है उनके लिए किसी भी प्रकार का प्रीमियम देय नहीं है। आप इस प्रश्न के उत्तर को ध्यान से पढ़ें। आपने कहा कि जो व्यक्ति प्रिंसिपल या एम0 एस0 के पास कार्ड बनाने जाता है उसका कार्ड नहीं बनता। माननीय सदस्य अगर आपके ध्यान में ऐसी बात आई है kindly let me know otherwise very clear directions are given to the Principal/MS कि जिनके पास हिमकेयर कार्ड नहीं हैं उनके कार्ड तत्काल बनाए जाएं।

Speaker: Shri Randhir Sharmaji, be very specific.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिमकेयर कार्ड बनाने के लिए जो व्यवस्था बताई गई है उसके आधार पर जो 4 महीनों के अलावा

05.12.2025/1135/RKS/AG-3

कार्ड बनने हैं उनकी संख्या 100 फिक्स की गई है। अब इन 100 कार्ड बनाने का क्या आधार है? इसलिए इस संख्या को लिमिट करना सही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप इस 100 पात्र व्यक्तियों की शर्त को हटाएंगे?

श्री बी0एस0द्वारा जारी

05.12.2025/1140/बी.एस./ए.एस.-1

श्री रणधीर शर्मा जारी...

अब इसका क्या आधार है, ये कौन सी 100 की संख्या है? इसलिए यह संख्या की शर्त लगाना सही नहीं है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वे इस 100 पात्र व्यक्तियों की शर्त को हटाएंगे? दूसरा, जैसे पी0जी0आई0 या एम्स में परमानेंटली आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था है, क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति अचानक गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं या अन्य कारण होते हैं कि वे अस्पताल में एडमिट होते हैं और वह इतने गरीब होते हैं कि पैसा खर्च नहीं कर सकते तो वहां पर आयुष्मान कार्ड बनाने की व्यवस्था है और ये तुरंत बन जाते हैं परंतु आयुष्मान कार्ड तो उन्हीं का बनेगा जो उस कैटेगरी में आते हैं परंतु हिमकेयर कार्ड सबका बनता है इसलिए मैं दूसरा सप्लीमेंट्री यह पूछना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी आश्वासन देंगे कि ऐसी ही व्यवस्था कम-से-कम सभी मेडिकल कॉलेजिज में इंक्लूडिंग आई0जी0एम0सी0, टांडा नेरचौक और अन्य मेडिकल कॉलेजिज है और हमारा जो एम्स है यहां तक की पी0जी0आई0 जहां-जहां हिमकेयर कार्ड मान्य हैं वहां-वहां ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे? ताकि इमरजेंसी में तुरंत कार्ड बन सकें। एक और सप्लीमेंट्री है कि जो प्राइवेट अस्पताल की देनदारी है, अब तो आपने हिमकेयर योजना प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए बंद कर दी है। इसमें पिछली देनदारी में से आपने 250 करोड़ रुपये के लगभग पैसा दिया। मैं जानना चाहता हूं कि अभी और कितनी धनराशि शेष है जिसका सरकार को भुगतान करना है? यह जानकारी देने की कृपा करें।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जहां तक आयुष्मान कार्ड का या किसी भी कार्ड का तालुक है। एक व्यक्ति किसी-न-किसी कवर के नीचे हमेशा संरक्षित है either it's a Ayushman Bharat Card or the HIMCARE Card. I mean to say that he must have atleast one card तो ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे इस प्रकार की प्रॉब्लम है तो हमने निर्देश दिए हुए हैं और फिर से दे दिए जाएंगे कि वे किसी भी प्राकार से इन्हें डिनाई न करें। in PGI Chandigarh also the Ayushman card or the HIMCARE Card both are acceptable तो यह व्यवस्था कर दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय जो बात पूछी गई

05.12.2025/1140/बी.एस./ए.एस.-2

है कि किसी भी प्रकार की उसे सुविधा देनी है उसे डिनाई न किया जाए। We will make it sure that it will be given to him.

अध्यक्षः मंत्री महोदय, माननीय सदस्य ने यह भी जानकारी चाही है कि जो 100 कार्ड की कंडिशन रखी है उसे हटाकर जो भी इनटाइटल होगा मेडिकल कॉलेज के अंदर उसका हिमकेयर कार्ड बन जाए और अगर कार्ड बनना ही है तो 100 की लिमिट क्यों रखी हुई है?

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई ऐसी कंडिशन है तो उसे हटा दिया जाएगा। We shall remove that condition.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हिम केयर कार्ड योजना जिस उद्देश्य से शुरू की गई थी उसने उद्देश्य की पूर्ति नहीं की। हिमकेयर एक बहुत बड़ा घोटाला है। सरकार इसकी जांच करवा रही है और मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं, हमने ए0जी0 से ऑडिट करवाया है। आदरणीय रणधीर जी ने जो सवाल पूछा है कि प्राइवेट को कितनी की पेमेंट होनी है, मैं बताना चाहता हूं कि 211 करोड़ रुपए की प्राइवेट हॉस्पिटल को पेमेंट हो गई है और 110 करोड़ रुपए की पेमेंट अभी उनकी बैलेंस है। हमने क्या सुधार किया? जो पिछला है उसकी तो मैं बाद में बात करूंगा। हमने वर्ष के चार महीनों में हिमकेयर कार्ड बनाने की सुविधा दी और पूरे चार महीनों में 120 दिन कार्ड बनेंगे, हर महीने के 30 दिन कार्ड बनेंगे। इसके अलावा एम0एस0 और प्रिंसिपल को 100 कार्ड बनाने की यह अनुमति दी गई कि वह 100 कार्ड जब चाहे कोई भी गरीब आता है तो इमरजेंसी में उसका कार्ड एम0एस0 बिना पूछे ही बना देगा और उसको हिमकेयर की सुविधा मिलेगी। हम यह पता करेंगे कि क्या उन 100 काड्र्स का इस्तेमाल हुआ है? अगर नहीं हुआ है, 100 कार्ड में भी आदमी नहीं आ रहे हैं तो उसको उतना ही रहने दिया जाएगा वरना उसको डिस्क्रिप्शनरी के लिए सरकार अलग से नोटिफिकेशन करेगी।

मनरेगा की कोई शर्त नहीं है, एम0एस0 आईडेंटिफाई करेगा यह मरीज गरीब है। मैं जो कह रहा हूं इस मंच पर, क्या आपके पास मनरेगा की नोटिफिकेशन है कि किसका बनेगा? जो भी एम0एस आईडेंटिफाई कर लेगा और प्रिंसिपल आईडेंटिफाई कर लेगा कि इसको जरूरत है, कई बार एक्सीडेंट वाला गरीब आदमी आता है उसके लिए हमने बोला उसका हिमकार्ड बनेगा। इस बात को मैं आपके लिए स्पष्ट कर देना देना चाहता हूं।

05.12.2025/1140/बी.एस./ए.एस.-3

अध्यक्ष महोदय, जनता की संपदा को इस तरह लूटने के लिए तो यह सरकार आई नहीं है। अगर 250 करोड़ रुपए ये निजी अस्पताल को दे सकते हैं और अभी 105 करोड़ रुपये और देना है।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

5.12.2025/1145/डी0टी0/ए0एस0 -1

प्रश्न संख्या 3811 जारी...

मुख्य मंत्री जारी....

अगर अढाई सौ रुपये पूर्व सरकार प्राईवेट होस्पिटल को दे सकती है, अभी तो 105 करोड़ रुपये की देनदारी बची है। हमनें अढाई सौ करोड़ रुपये, जो सरकार के थे, उसमे हम पेटस्केम की मशीन भी लगा रहे हैं, एम0आर0आई0 की मशीन भी लगा रहे हैं और रोबोटिक सर्जरी भी करवा रहे हैं और यह राज्य के राजस्व से हो रहा है। यह व्यवस्था परिवर्तन हमनें स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया है।

अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग आयुष्मान भारत योजना की बात करते हैं। आयुष्मान भारत योजना में केंद्र सरकार की ओर से प्रतिवर्ष केवल 43 करोड़ रुपये आता है जबकि पिछली बार आयुष्मान भारत योजना मे प्रदेश सरकार को 110 करोड़ रुपये का बिल आया है। पिछली बार केंद्र सरकार से इस स्कीम में 43 करोड़ रुपये दिए गये जब कि प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष कभी 83 करोड़ रुपये, कभी 83 करोड़ रुपये, कभी 114 करोड़ रुपये और कभी 106 करोड़ रुपये के बिल प्राप्त होते हैं। यह जो 43 करोड़ रुपये के अतिरिक्त हुआ खर्चा है यानी जो 43 करोड़ केंद्र सरकार से प्राप्त होता है उससे अतिरिक्त खर्चा इस योजना में जो होता है उसका वहन प्रदेश सरकार अपने राजस्व से करती है। आयुष्मान भारत योजना

कोई भारत सरकार की योजना नहीं है। सिर्फ स्कीम का नाम आयुष्मान भारत योजना है लेकिन इस योजना का पैसा प्रदेश सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। यह एक घोटाला है जिसकी जानकारी समय आने पर मैं इस सदन में रखूंगा। मैं इसके लिए किसी को दोष नहीं दे रहा। मैं उस व्यवस्था को दोष दे रहा हूं जिस व्यवस्था के कारण इसमें घोटाला हुआ है। एक उदाहरण मैं इस माननीय सदन को देना चाहता हूं। आई0जी0एम0सी0 में हिमकेयर कार्ड के अंतर्गत शिमला की 42 केमिस्ट की दुकानों को रजिस्ट्रड कर दिया गया। यह योजना अच्छी है लेकिन उदेश्य की पूर्ति के लिए इस योजना के कार्यान्वयन को सही ढंग से अमलीजामा पहनाया जाना चाहिए था। मैं फिर कहता हूं कि यह योजना अच्छी योजना है लेकिन यह योजना घोटालों के लिए नहीं है क्योंकि यह योजना आम और गरीब नागरिक के इलाज के लिए है। आयुष्मान भारत योजना में जो इलाज करने के लिए 4 लाख रुपए का पैकेज रखा गया है वह पैसा प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। इसे रेगुलेट करने की व्यवस्था हमारी है और हमनें इसे रेगुलेट भी किया है। एक साल के बाद इसकी पूरी जानकारी हमें मिलेगी। मैं इस सदन को

5.12.2025/1145/डी0टी0/ए0एस0 -2

यह भी कहना चाहता हूं कि हिमकेयर के नाम पर प्रदेश में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ है उसे हम इस सदन के आगे भी लाएंगे और जनता की अदालत में भी ले जाएंगे।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा ।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हिमकेयर एक घोटाला है। हम कहते हैं कि मुख्य मंत्री जी आप इस घोटाले की जांच करवाइए और दोषियों को सजा दीजिए, इनको कोई नहीं रोक रहा। परंतु पिछले तीन साल से सरकार इस घोटाले के नाम पर आम आदमी को हिमकेयर की सुविधा से वंचित कर रही है- जो गलत है। अगर घोटाला हुआ है तो आप इसकी जांच कीजिए, हम सरकार को नहीं रोकेंगे। लेकिन हिमकेयर का लाभ हर पात्र व्यक्ति को मिले। कोई व्यक्ति अपना इलाज करवाने चाहे निजी हस्पताल में जाता है या सरकारी हस्पताल में जाता है, उसकी चिंता सरकार जरूर करे। हालात यह है कि सरकारी हस्पताल में भी हिमकेयर योजना का लाभ

लोगों को नहीं मिल रहा है। आई0जी0एम0सी0 की देनदारियां भी अभी बहुत हैं। इसके अतिरिक्त टांडा और नेरचौक हस्पताल की देनदारियां भी बहुत अधिक हैं। वहां पर यह कह दिया जाता है कि जो हमारे वेंडर्ज हैं वे अब हमें सामान नहीं दे रहे। इसलिए सरकार इस चीज की चिंता करे।

दूसरी बात जो मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो कार्ड नहीं बने है, जैसा की मैंने पहले भी कहा है, अगर किसी व्यक्ति का एक्सिडेंट हो जाता है या कोई और गंभीर बिमारी हो जाती है और वह हास्पिटल में एडमिट है तो वहां एमरजेंसी में तुरंत, आयुष्मान भारत योजना की तर्ज पर, जैसे पी0जी0आई0 चंडीगढ़ और एम्म में तुरंत कार्ड बनता है, प्रदेश के चिकित्सालयों में इसी तरह हिमकेयर का कार्ड तुरंत बने, उसकी व्यवस्था सरकार करे।

इसके अतिरिक्त जो माननीय मुख्य मंत्री जी आयुष्मान भारत योजना की बात कर रहे हैं कि यह योजना केंद्र सरकार की नहीं है प्रदेश सरकार की है, यह योजना केंद्र सरकार की ही है-आप इसमें यह जरूर स्पष्ट कर सकते हैं कि इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का कितना-कितना प्रतिशतता शेयर इस योजना में है? परंतु यह योजना केंद्र सरकार की ही है आदरणीय प्रधान मंत्री जी की योजना है और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी द्वारा लाई गई है-उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं।

अतः मुख्य मंत्री मेरे द्वारा पूछे गये इन तीन प्रश्नों का उत्तर दें?

5.12.2025/1145/डी0टी0/ए0एस0 -3

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, **सबसे पहले यह आश्वासन मैं इस माननीय सदन में देना चाहता हूं कि हिमकेयर योजना से किसी भी पात्र व्यक्ति को वंचित नहीं रखेगा जाएगा** और न ही वंचित रखा गया है। यह ठीक है कि थोड़ि-बहुत कहीं पेमेंट की समस्या आ रही है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार से आयुष्मान भारत योजना में जितने भी पैसे आ रहे हैं उसके आधार पर जितने **पैसे केंद्र सरकार से इस योजना में आ रहे हैं उतने का इलाज ही हम इस योजना में करेंगे, हम ऐसा निश्चित करते हैं। उसमें जो राज्य का शेयर जाता है उस शेयर को अब हम हिमकेयर में डालेंगे**। हम यह निश्चित करने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की योजना के तहत जितने भी पैसे आते हैं हम उतना ही

पैसे से आयुष्मान भारत योजना में उपचार करेंगे। केंद्र सरकार से केवल 43 करोड़ रुपये आता है

श्री एन0जी0द्वारा जारी...

05.12.2025/1150/डी.सी.-एन.जी./1

प्रश्न संख्या : 3811........जारी मुख्य मंत्री..........जारी

हम उतने ही पैसे के काड्र्स का उपचार करेंगे। हमें 43 करोड़ रुपये के स्थान पर 83 करोड़ रुपये देने पड़ते हैं यानी के राज्य के बजट से डबल पैसा देना पड़ रहा है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्लीज, बैठ जाइए।...(व्यवधान) मुख्य मंत्री जी, आप यह बता दीजिए कि आयुष्मान भारत योजना में भारत सरकार और प्रदेश सरकार का क्या सहयोग है?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत योजना में हमें जितना पैसा आता है उसका 100 प्रतिशत हम भी दे रहे हैं।...(व्यवधान) मैंने योजना की डीटेल बता दी है और आयुष्मान भारत योजना के तहत हमें जितना पैसा आएगा, हम उतने पैसों से उपचार करवा देंगे बाकि लोगों का उपचार हिमकेयर योजना के माध्यम से करवाएंगे। ...(व्यवधान) आयुष्मान भारत योजना की तरह ही हिमकेयर योजना है जिसमें 2100 रुपये से लेकर 4.50 लाख रुपये तक का उपचार होता है। उसकी पेमेंट के बारे में बताना चाहूंगा कि यदि साल में 80 करोड़ रुपये की कुल पेमेंट होती है तो भारत सरकार हमें केवल 43 करोड़ रुपये ही देगी और शेष पैसा राज्य सरकार को देना पड़ता है। भारत सरकार केवल 43 करोड़ रुपये ही देती है तथा लाभार्थियों को और अधिक लाभ पहुंचाने के लिए हिमाचल प्रदेश के कोष से खर्चा करना पड़ता है। हिमकेयर योजना के कार्ड के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की कोई भी बीमारी के उपचार के लिए मना नहीं किया गया है। हम प्रधानाचार्य व एम0एस0 को अधिकृत कर देंगे कि आपके पास कोई भी ऐसा व्यक्ति आए...(व्यवधान) **अगली बार माननीय सदन में मैं वह डीटेल भी दे दूंगा कि एम0एस0 के पास कितने**

आदमी आए और कितने लोगों ने हिमकेयर कार्ड के माध्यम से उपचार करवाया है।...(व्यवधान) **अगर उससे भी ज्यादा आए होंगे तो उसको भी एक्सटेंड कर देंगे यदि 100 से कम आए होंगे तो उनका आंकड़ा भी आप सब के सामने रख देंगे।**

05.12.2025/1150/डी.सी.-एन.जी./2

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री रणधीर शर्मा की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें यह भी देखना पड़ेगा कि **हिमकेयर योजना के कार्डों के माध्यम से हुए उपचार के बाद जिस-जिस बीमारी के बिल आए हैं क्या हमारे मेडिकल कॉलिजिज़ व अन्य स्वास्थ्य संस्थानों (सरकारी व निजी) में उन बीमारियों के उपचार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी**? **हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं और इसकी सूचना इस माननीय सदन में रख देंगे।**

Speaker: Hon'ble Chief Minister, you have already said that it is subject of enquiry. माननीय सदस्य, श्री त्रिलोक जम्वाल, आप बोलिए and this is last supplementary.

श्री त्रिलोक जम्वाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री से जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न के "(ग)" भाग के उत्तर में कहा गया है कि ऑडिट चल रहा है और मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि ऑडिट कम्पलीट हो गया है। मैंने अपने प्रश्न में पूछा था कि ऐसे कौन-कौन से निजी स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनमें अनियमितताएं पाई गईं, उनके नाम बताइए और उनमें क्या-क्या अनियमितताएं पाई गई हैं? इसमें इस बात का कोई भी स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय, हमें यह सुनते-सुनते तीन वर्ष हो गए हैं कि हिमकेयर योजना का मिसयूज़ हुआ है, इसके माध्यम से कुछ लोगों को लाभ दिया गया और कुछ अस्पतालों ने इस योजना का दुरुप्योग किया है। प्रदेश सरकार अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में अभी तक यह नहीं बता पाई कि वे कौन-कौन से स्वास्थ्य संस्थान हैं जिनमें अनियमितताएं पाई गई

हैं? जब अभी तक ऑडिट चल रहा है तो कौन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वहां पर अनियमितताएं हुई हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले भी कहा है कि यह माननीय सदन हम सभी के लिए सर्वोच्च है। मैं कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आयुष्मान भारत योजना के तहत 90:10 के अनुपात में लाभ मिल रहा है। इस योजना में जितना भी पैसा खर्च हो रहा है उसमें से 90 प्रतिशत भारत सरकार और 10 प्रतिशत प्रदेश सरकार खर्च कर रही है।

05.12.2025/1150/डी.सी.-एन.जी./3

यह 43-45 करोड़ रुपये की बात कहां से आ गई? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से स्पष्टीकरण चाहता हूं और मांग करता हूं कि असत्य शब्दों का उपयोग न करें।

अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्री, आप स्थिति को स्पष्ट कर दीजिए। इसके अलावा आपने जांच करवाने के बारे में तो बोल ही दिया है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन साल बाद आज ही 'घोटाला' बोला है।...(व्यवधान) मैंने आज ही बोला है कि यह बहुत बड़ा घोटाला है। इससे पहले हम अनियमितताओं की जांच कर रहे थे और अभी भी जांच चल रही है।...(व्यवधान) आपने उत्तर के "(ग)" भाग को ठीक से पढ़ा नहीं है।...(व्यवधान) आपने कहा कि इंक्वायरी रिपोर्ट आ गई है जबकि अभी तो जांच चल ही रही है। इस प्रश्न के उत्तर में लिखा हुआ है कि सम्भावित जांच हेतु प्रधान लेखाकार हिमाचल प्रदेश द्वारा ऑडिट किया जा रहा है।...(व्यवधान) मैंने "(ग)" भाग को ही पढ़ा है। दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हिमकेयर योजना के माध्यम से उपचार नहीं हो रहा है तो पब्लिक अस्पतालों व पी0जी0आई0 में 280 करोड़ रुपये किस चीज़ के लम्बित हैं? इसका मतलब हिमकेयर में उपचार.......

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

05.12.2025/1155/डी0सी0-पी0बी0/1

प्रश्न संख्या : 3811........जारी

मुख्य मंत्री...जारी

280 करोड़ रुपये क्यों पेंडिंग है, इसका मतलब है कि हिमकेयर में इलाज हो रहा है। यह डाटा वर्ष 2024-25 का है।...(व्यवधान) मैं पूर्व सरकार के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं आपको वर्ष 2024-25 के बारे में बताना चाहता हूं। ...(व्यवधान) आयुष्मान भारत के द्वारा ...(व्यवधान) आप पहले मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) परमार साहब, आप मेरी बात सुन लीजिए।...(व्यवधान) परमार साहब, आपको स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा कर स्पीकर बनाया गया था।...(व्यवधान)।

Speaker: Hon'ble Chief Minister don't pay attention towards them(Members of Opposition). मुख्य मंत्री जी आप इन्हें बोलने दीजिए क्योंकि यह रिकॉर्ड पर नहीं जा रहा है।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, विपक्ष को संबोधित करना अच्छा लगता है। भारत सरकार से वर्ष 2024-25 में आयुष्मान भारत के तहत 47 करोड़ रुपये प्रदेश के लिए स्वीकृत हुए। हिमाचल प्रदेश सरकार ने इस योजना को फिर भी शुरू किया और सरकार ने आपनी जेब से, आपने राजस्व से 56 करोड़ रुपये दिया। हम पूर्व की सरकार की योजनाओं को भी चला रहे हैं।...(व्यवधान) मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने हिमाचल सरकार के राजस्व से यह राशि देने की बात कही है।...(व्यवधान) इसक मतलब यही है कि सरकार की जेब से दिया है।...(व्यवधान) He is representing the State Government. ...(Interruption). Order in the House.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने मेरी बात को गौर से नहीं सुना है।...(व्यवधान) सरकार के राजस्व से देने का यही मतलब है।...(व्यवधान) मैं एक व्यक्ति के तौर पर नहीं

एक इंस्टीच्यूशन के हैड के तौर पर कह रहा हूं कि सरकार के राजस्व से खर्चा दिया है।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी ने अपनी जेब से नहीं बल्कि सरकार की जेब से यह राशि देने की बात कही है।...(व्यवधान)

05.12.2025/1155/डी0सी0-पी0बी0/2

मुख्य मंत्री : यह slip of tongue नहीं है। सरकार के राजस्व से देने की बात ठीक है। ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इन्हें (विपक्ष) एक बात कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) अब इस घोटाले की धीरे-धीरे परतें खुलेंगी और हम इन्हें सदन के पटल पर भी रखेंगे।...(व्यवधान) और निश्चित रूप से रखेंगे।...(व्यवधान) हिमकेयर को जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए बनाया था उसे इस योजना ने पूरा नहीं किया है।...(व्यवधान) इस योजना ने जनता की सम्पदा को लूटा है। ...(व्यवधान) निजी अस्पतालों को 350 करोड़ रुपये देना है।...(व्यवधान) हमारी सरकार इसकी जांच करेगी।...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार इस घोटाले की आने वाले समय में विस्तृत जांच करवाएगी, धन्यवाद।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : हिमकेयर योजना के अंतर्गत जो भी अनियमितताएं हुई हैं, सरकार उनकी जांच करवाएगी...(व्यवधान) और आने वाले समय में दोषी को जल्द ही सजा दिलावाई जाएगी। This is what the Hon'ble Chief Minister wants to say. Next Question please. ...(व्यवधान) समय बहुत हो गया है और प्रश्न काल भी समाप्त होने वाला है।...(व्यवधान)

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है इसलिए कृपया मुझे बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष जी, आज सत्र का अंतिम दिन है इसलिए मैं आपको आपनी बात रखने का समय दे रहा हूं।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद। आज सदन का अंतिम दिन है लेकिन आप माननीय मुख्य मंत्री जी पहले दिन से अंतिम दिन तक (***) हैं।...(व्यवधान)

अध्यक्ष : ठाकुर साहब, आप फिर शुरू हो गए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, (***) शब्द प्यार का शब्द है।...(व्यवधान)

Speaker : This word (***) will not be part of the record. आप मुख्य मंत्री जी से यह सब बातें प्राइवेटली बोला कीजिए not here on the record.

05.12.2025/1155/डी0सी0-पी0बी0/3

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी एक तरफ कह रहे हैं कि यह घोटाला है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि यह बहुत अच्छी योजना है। इन्होंने अभी ये दो चीज़ें एक साथ कही हैं। हम पहले दिन से कह रहे है कि यदि आप इस योजना की भावना को जानने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस योजना से ऐसे कितने लोगों की जिंदगियां बची है जो लोग अपने इलाज के लिए विवश होकर अपने घर-परिवार की ज़मीन जायदाद को गिरवी रखते थे। सरकार को हिमकेयर के अंतर्गत निजी अस्पतालों की जांच करवानी है तो आज सरकार के तीन वर्ष हो गए हैं, आप यह जांच कब करवाएंगे? मैं आंकड़ों पर न जाकर मुख्य मंत्री जी से सीधी बात पूछना चाहता हूं क्योंकि आंकड़ों में आप कंफ्यूज हो रहे हो, आप उसमें (***) हो रहे हो। मैं केवल यह जानना चाहता हूं कि क्या आप सरकारी अस्पतालों में हिमकेयर के तहत ऐसे गरीब लोगों का इलाज करवाना सुनिश्चित करेंगे जिनका हिमकेयर कार्ड बना हुआ है? क्योंकि लोगों का हिमकेयर के तहत सरकारी अस्पतालों में भी इलाज नहीं हो पा रहा है।

Speaker : Hon'ble Chief Minister will reply.

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही कहा था कि जिस उद्देश्य के लिए हिमकेयर योजना बनाई गई थी, उस लक्ष्य और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। अब आप (नेता प्रतिपक्ष) बाताइए कि (***) आप है कि मैं हूं क्योंकि आप ही यह सवाल पूछ रहे हैं। भाजपा में ग्रुपबाजी चल रही है यह अलग बात है लेकिन आप तनाव में मत रहिए।...(व्यवधान) दूसरा, मैं यह कहना चाहता हूं कि

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाला गया।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी....

05.12.2025/1200/एच.के./ए.पी./01

मुख्य मंत्री जारी .....

किसी भी सरकारी अस्पताल में किसी को भी हिमकेयर कार्ड बनाने से इनकार नहीं किया गया है। हिमकेयर कार्ड के तहत उपचार पी0जी0आई0, एम्स, आई0जी0एम0सी0, टांडा आदि हिमाचल के मेडिकल अस्पतालों में हो रहा है। विपक्ष का यह कहना कि सरकार द्वारा हिमकेयर कार्ड बनाने से मना किया गया है, यह गलत है। हमने तो यह भी कहा है कि अगर चार महीने के बाद हिमकेयर कार्ड बनाने में कोई दिक्कत आती है, तो उस कार्ड को बनाने की अनुमति दी गई है। हमने किसी को हिमकेयर कार्ड बनाने से मना नहीं किया है। मैं अपने विपक्ष के साथियों को यह भी बता दूं कि 280 करोड़ रुपये की देनदारी ऐसे ही थोड़ी पेंडिंग है, उपचार हो रहा है, तभी तो पेंडिंग है। हिमकेयर की जो मूल भावना थी, उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। इसमें आम आदमी को उपचार के लिए पैसा सरकार दे रही है, लेकिन जो भ्रष्टाचार और घोटाला हुआ है, उसकी हम जांच करवा रहे हैं।

प्रश्न काल समाप्त

05.12.2025/1200/एच.के./ए.पी./02

व्यवस्था का प्रश्न

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने दिनांक 04.12.2025 को विधानसभा के नियम-75 और नियम-79 के तहत नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी द्वारा मेरे विशेषाधिकार का हनन किया गया है,

जिसके संबंध में मैंने यह शिकायत दी है। मैं जानना चाहता हूं कि उस शिकायत पर विधान सभा द्वारा क्या कार्रवाई की गई है।

अध्यक्ष : अभी माननीय राजस्व मंत्री द्वारा नियम-75 के अंतर्गत विधान सभा को जो शिकायत दर्ज करवाई गई है, वह मेरे पास है। इस विषय को मैंने सचिव, विधान सभा को एग्जामिन के लिए भेजा है। जैसे ही इस विषय को एग्जामिन कर लिया जाएगा, उसकी सूचना माननीय सदन और माननीय राजस्व मंत्री को उपलब्ध करवा दी जाएगी।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विपिन सिंह परमार जी।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़े से समय में अपनी बात को माननीय सदन में रखना चाहता हूं।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले बात बताए अगर रखने योग्य होगी तो उसकी मैं आपको इजाज़त दूंगा।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदन की जो परम्पराएं हैं, उन्हीं के अनुरूप आप इस सदन का संचालन करते हैं। परन्तु पिछले कई सत्रों में यह देखा गया है कि अनुचित शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। हम माननीय मुख्य मंत्री जी का आदर करते हैं, वे इस सदन के नेता हैं।

दूसरी ओर हमारे विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हैं, जो प्रदेश के पूर्व मुख्य मंत्री भी रह चुके हैं। पक्ष की ओर से आवाज आती है कि किसने इन्हें प्रदेश का मुख्य मंत्री बनाया? इन्हें मुख्य मंत्री बनाने वाले कौन थे और उनके लिए (***) जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ...(व्यवधान)

05.12.2025/1200/एच.के./ए.पी./03

Speaker : ...(Interruption) I have allowed you. Explain your issue to me.

श्री विपिन सिंह परमार : हमारे नेता प्रतिपक्ष छः बार के विधायक रहे हैं और हमारी व्यवस्था के अनुसार प्रदेश की जनता द्वारा बहुमत दिए जाने पर वे उस समय मुख्य मंत्री बने। लेकिन उनके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और इस माननीय सदन की परंपराओं के विरुद्ध टिप्पणियां करना तथा ऐसी बातों के माध्यम से सनसनी फैलाना गलत बात है। मुझे इस सदन के नेता से भी यह प्रश्न करना है कि आप ऐसे मंत्री का संरक्षण क्यों कर रहे हैं। जब विचारधारा के मामले में चर्चा होती है, उस समय मैंने अध्यक्ष महोदय से कहा था कि विषय पंचायती राज का है, तो इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां से आ गया। हमारे स्वयंसेवकों की वर्दी, टोपी और धर्म का दंड कहां से आ गया।

अध्यक्ष : जो आपने कहा, वह पहले से ही रिकार्ड पर है।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, आज जो राजस्व मंत्री द्वारा माननीय सदन में कहा गया है कि मैं विषेशाधिकार हनन का प्रस्ताव इस माननीय सदन में लेकर आऊंगा। अध्यक्ष महोदय,

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

05.12.2025/1205/AT/HK.01

श्री विपिन सिंह परमार जारी...

मुझे आपसे यह कहना है कि... (व्यवधान)

अध्यक्षः आपको मेरी ओर से क्या व्यवस्था चाहिए?

श्री विपिन सिंह परमारः मुझे आपसे यह व्यवस्था चाहिए। पता नहीं आपकी क्या मजबूरी है। वैसे तो आप यहां से जो बोलते हैं हम उसे सुनते हैं... (व्यवधान)

अध्यक्षः मेरी कोई व्यवस्था, कोई मजबूरी नहीं है।

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय, (***)... (**व्यवधान**)

अध्यक्षः माननीय सदस्य, हम सब भी इनका ऑनर करते हैं।

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय, (***) ... (**व्यवधान**)

Speaker: Please take your seat now.

श्री विपिन सिंह परमारः नहीं-नहीं अध्यक्ष महोदय, (***)इस विधानसभा की बहुत श्रेष्ठ परंपराएं रही हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस कुर्सी पर रहा हूं, आप भी रहे हैं... (व्यवधान)...

अध्यक्षः मैं रहा नहीं, मैं तो अभी भी हूं।

05.12.2025/1205/AT/HK.02

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय, जो भी व्यक्ति इस पीठ पर आसीन हुए हैं उन्होंने हमेशा इस कुर्सी का मान रखते हुए यह आदेश दिए हैं कि परंपराओं को तोड़ने और उन्हें तार-तार करने की हिम्मत न की जाए (***) (**व्यवधान**)...

Speaker: Please take your seat now.

श्री विपिन सिंह परमारः (***) (**व्यवधान**)...

अध्यक्षः मैं अभी व्यवस्था दे दूं न ...(Interruption) Whatever you said, let me clarify and give a ruling on this.

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय(***)... (**व्यवधान**)...

अध्यक्षः आप यह सारी बातें क्यों रेफर कर रहे हैं?

श्री विपिन सिंह परमारः यह कहा गया कि (***) (**व्यवधान**)

Speaker : Please take your seat now. …(Interruption) Nothing will go on record now. …(Interruption) Nothing will go on record-no audio, no video. …(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) …. Please take your seat now. ..(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) प्लीज बैठिए, मैं व्यवस्था तो दे दूं …(व्यवधान) मैं आपको व्यवस्था दे रहा हूं। कृपा आप बैठ जाइये। …(Interruption) Please take your seat now. …(Interruption) Nothing is going on record Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmar ji. कोई चीज़ रिकॉर्ड पर नहीं जा रही है। …(Interruption) Please, please take your seat. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Please take your seat. …(व्यवधान)

05.12.2025/1205/AT/HK.03

कुछ भी रिकॉर्ड पर जा ही नहीं रहा है न ही ऑडियो न ही वीडियो। …(Interruption) Please take your seat. परमार साहब, कृपा करके बैठ जाइये। …(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) आज अंतिम दिन है ऐसे unpleasant …(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) परमार साहब, प्लीज बैठिए। माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी जी, प्लीज़ बैठो। …(व्यवधान) नेगी जी, आप बैठ जाओ। …(व्यवधान) परमार साहब, बैठो। …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Nothing is going on record. …(Interruption) Please take your seat. …(Interruption) I am adjourning this House for 10 minutes. We will reassemble at 12.20PM.

एम0डी0द्वारा जारी .....

05-12-2025/1245/YK/MD/1

(माननीय सदन की कार्यवाही 12:45 बजे अपराह्न पुनः आरंभ हुई।)

अध्यक्ष : इससे पहले कि मैं अगला विषय चर्चा हेतु लूं, अभी माननीय सदन में वैसे तो this was not a 'Point of Order' yet the Hon'ble Member Shri Vipin Singh Parmar Ji has raised an issue regarding the Vidhan Sabha proceedings, Vidhan Sabha record which pertains to yesterday's proceedings as well as day before yesterday's proceedings. मैंने पहले भी सभी माननीय सदस्यों से निवेदन किया था और हर दिन करता हूं कि मुझे सभी का सहयोग चाहिए तभी यह सदन चलेगा। पहले भी मैंने व्यवस्था दी है कि रिकॉर्ड के ऊपर जो भी अनावश्यक और असंसदीय होगा उसे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने देंगे। अगर फिर भी ऐसा कुछ रिकॉर्ड पर आया है जो अनावश्यक या असंसदीय है तो मैं सारे रिकॉर्ड को चैक करूंगा क्योंकि अब सारा रिकॉर्ड एकदम से चैक नहीं किया जा सकता और उसमें जो भी अनावश्यक है that is not required, with those references and with those discussions. तो मैं उन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाउंगा।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

05/12/2025/1250/केएस/वाईके/1

अध्यक्ष जारी ---

This is what I have already stated and I am reiterating it again. दूसरे, सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी से और नेता प्रतिपक्ष से मेरा विशेष आग्रह है कि आप सदन के नेता हैं, सदन के संचालन में आपका सहयोग अत्यंत ज़रूरी है। जब भी सदन के नेता बोलें तो सभी सम्मान से सुनें और अगर उनको तथ्यों से विपरीत कोई बात लगती है तो ज़रूर

मेरे ध्यान में लाएं। बैठे-बैठे ना बोलें, बैठे-बैठे अपोज़ न करें। मैं बड़े खुले मन से सभी को बोलने की इजाज़त देता हूं। जो भी अनुपयुक्त होगा, उस पार्ट को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनने देंगे, उसी वक्त उसको रिकॉर्ड से निकाल देंगे। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं हो रहा है और मैं नेता प्रतिपक्ष से भी यही उम्मीद करता हूं कि जब वे बोलें तो कम से कम उनकी तरफ के माननीय सदस्य तो उनको सुनें। वे बोल रहे होते हैं, बीच में से आप भी बोलना शुरू कर देते हैं। सत्ता पक्ष की तरफ से भी ऐसा ही है। जैसे आज सुबह भी undesirable reference made by some of the Hon'ble Members which was not required. तो मैं अभी आप सभी से यही आग्रह करुंगा कि जो विषय आपने अभी अपने इंटरवेंशन के माध्यम से, प्वाइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से मेरे ध्यान में लाया है, मैं सारा रिकॉर्ड देखूंगा और उसमें जितना भी अनडिज़ायरेबल पार्ट है, उसको हम रिकॉर्ड से निकाल देंगे।

अभी माननीय विपिन सिंह परमार जी को, जो कि इस माननीय सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं, मैंने इजाज़त दी और पूछा कि आपका प्वाइंट ऑफ ऑर्डर क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं? जहां तक आपने अपने विचारों की अभिव्यक्ति की, जो ज़रूरी था, वह रिकॉर्ड पर आ चुका है। अब उसमें कुछ ऐसी बातों का आपने फिर ज़िक्र कर दिया जिसका फिर रिप्लाई रिक्वायर्ड है। रिबटल रिक्वायर्ड है। या तो सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष या सिलैक्टिव लोग बैठकर आपस में तय कर लें कि जो पीछे हुआ, वह हुआ लेकिन अब आगे सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। We are not enemy to each other we are opponent to each other. हम एक-दूसरे के विचारों से मुतफ़िक नहीं हो सकते। स्वाभाविक रूप से जब विरोध हो तो शब्दों का भी अच्छा प्रयोग हो और विरोध मात्र गाली-गलौज तक सीमित ना हो। यह इस सदन के अंदर नहीं होना चाहिए। मैं तो आप सभी से यही आग्रह कर रहा हूं और आज वैसे भी इस सत्र का आख़िरी दिन है। अगर सभी इंसिस्ट

05/12/2025/1250/केएस/वाईके/2

करेंगे तो सभी को अपना-अपना रिकोर्स करना है, मुझे सदन चलाना है। जिसको जो रिकोर्स करना है लेकिन मुझे सदन चलाना है इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि जो भी अनडिज़ायरेबल होगा, वह मैं रिकॉर्ड से निकाल दूंगा। This is I want to assure the

Hon'ble House and I request again कि नेगी जी, अब आप हाथ खड़ा करना चाह रहे हैं। आप उस इशू को रिबट करना चाह रहे हैं और अगर आप उसका रिबटल देना ही चाह रहे हैं तो मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि मैं आपको उतनी ही अनुमति दूंगा। आपके शब्दों से प्यार व स्नेह निकलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोबारा से वही परिस्थिति पैदा हो, यह मेरा आपसे आग्रह है। आप जो बोलना चाहें, ज़रूर बोलें। मैं चाहता हूं कि शब्दों का प्रयोग अच्छे तरीके से हो क्योंकि बड़े से बड़ी बात भी अच्छे शब्दों में कही जा सकती है। मेरा आग्रह है कि अच्छे शब्दों में अगर आप रिबटल देना चाहें तो ज़रूर दें। I will be confining to you to a very limited period.

राजस्व मंत्री जी अ0व0 की बारी में---

05.12.2025/1255/av/ag/1

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे rebuttal का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

यह लोकतंत्र की खूबी है कि इस माननीय सदन में चाहे पक्ष की तरफ से विचार रखे जाएं या विपक्ष की ओर से रखे जाएं, यहां पर हरेक को अपने तरीके से बात रखने का अधिकार है। संविधान के आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के माध्यम से हमें सदन के अंदर अपनी बात कहने और अभिव्यक्ति की आजादी मिली है। उस स्वतंत्रता में भी अगर बीच में कहीं सेंसरशिप हो जाए फिर तो आर्टिकल 105 और आर्टिकल 194 के कोई मायने नहीं रहते। अध्यक्ष महोदय, हां, अगर कोई असंसदीय या अब्यूसिव शब्द होगा तो उसको आप कार्यवाही से निकाल सकते हैं।

मैं भी इस माननीय सदन में बड़े लंबे समय से सदस्य रहा हूं। मुझे भी अपने विधान सभा क्षेत्र के लोगों ने चुनकर भेजा है। आप पुराना सारा रिकॉर्ड निकाल लीजिए। मैंने कभी एक शब्द

अब्यूसिव तो छोड़िए, असंसदीय भी नहीं कहा। मेरी यह आदत ही नहीं है। मैं यहां केवल अपनी बात रखता हूं और वह भी तब जब आप मुझे परमिशन देते हैं। यहां पर जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे होते हैं तो मैं बीच में नहीं बोलता और न उनको कभी टोकता हूं। उसके बावजूद अगर मैं सच बोल रहा हूं, या तो ये प्रूव करें कि मैंने जो कुछ कहा है वह सही नहीं अपितु गलत था तो आप नियमों के तहत मेरे विरुद्ध कार्रवाई कीजिए। अगर सच बोलना बद्तमीजी है तो मैं यह बद्तमीजी हजार बार करूंगा।

श्री विपिन सिंह परमार जी इसी माननीय सदन के सर्वोच्च आसन पर विराजमान रह चुके हैं। इनको नियमों के बारे में सारी जानकारी है परंतु ये मुझे किस तरह से डरा रहे थे? ये कैसे धमका कर कह रहे थे कि मुझे मंत्री बनाने की मजबूरी मुख्य मंत्री की हो सकती है। क्या इनको पूछकर मुख्य मंत्री जी ने मुझे मंत्री बनाना था? क्या किन्नौर विधान सभा क्षेत्र की जनता ने इनको पूछकर मुझे यहां चुनकर भेजा है? भारतीय जनता पार्टी वाले तो मेरे खिलाफ थे और इन्होंने मुझे हराने के लिए पूरा जोर लगा लिया लेकिन मैं काँग्रेस पार्टी की टिकट पर जीता हूं। इसमें मेरा क्या दोष है? इन्होंने तो यहां तक कहा कि सोनिया गांधी को इस बद्तमीज को निकालने के लिए कहिए। ये लोग मेरे द्वारा बोला गया बद्तमीजी का एक शब्द तो बताए कि ऐसा

05.12.2025/1255/av/ag/2

कौन-सा शब्द असभ्य शब्द है जिसके तहत मैंने इनके ऊपर कटाक्ष किया। अगर मैं सच्चाई बताकर इनको आईना दिखा रहा हूं, ...(व्यवधान) ये लोग मुझे वहां (***)कहकर गए तो क्या मुझे अपनी सफाई देने का अधिकार भी नहीं है, मैं यहां चुनकर किस लिए आया हूं? Articles 105 and 194 of the Constitution of India are for what if that does not protect me from giving my version in this Hon'ble House. अध्यक्ष महोदय, आप इनसे पूछिए या पुराने रिकॉर्ड को देखकर कोई एक शब्द निकालिए जिसमें मैंने बद्तमीजी की हो। आप कोई एक असंसदीय या अब्यूसिव शब्द निकालिए। ...(व्यवधान) सर, वन साइडिड वर्शन थोड़ी न जाना चाहिए, मेरा वर्शन भी जाना चाहिए।

पिछली बार इन लोगों ने मेरे खिलाफ बोला और वह वन साइडिड गया। ...(व्यवधान) सर, मुझे भी थोड़ा मौका दीजिए वरना आर्टिकल 105 और 194 के कोई मायने नहीं है।

आतंकवाद कब पैदा होता है? आतंकवाद तब पैदा होता है जब आप किसी विचारधारा को जबरदस्ती सप्रेस करने की बात करेंगे या किसी को अभिव्यक्ति की आजादी नहीं देते हो। ...(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, श्री विपिन सिंह परमार जी ने जो-जो बोला है, आप उसके लिए बोल दीजिए कि that part is undesirable.

Revenue Minister: Who is he to threaten me? How he can provoke me?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, तभी तो मैंने आपको rebut करने का चांस दिया है।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूं।

ये कौन बोलने वाले होते हैं कि मुझे कौन चुनेगा या नहीं चुनेगा? मुझे मेरी पार्टी और मेरे विधान सभा क्षेत्र की जनता ने चुनकर भेजा है। मुझे इनसे यह बात पूछनी है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में इनके प्रति कोई कटुता नहीं है। अध्यक्ष महोदय, आप बताइए कि मैंने इनका अपमान कब किया, मैं इनका सम्मान हमेशा करता हूं। मैं इनको हमेशा जय राम जी और परमार जी कह कर पुकारता हूं, परंतु ये मुझे क्या कहते हैं? (***)

05.12.2025/1255/av/ag/3

परंतु अगर ये मुझे प्रोवोक करेंगे तो मुझे भी जवाब देना पड़ेगा। ...(व्यवधान)

टी सी द्वारा जारी

05.12.2025/1300/टी0सी0वी0/ए0एस0/-1

अध्यक्ष : मंत्री महोदय, आप कटुता न रखें।

राजस्व मंत्री : सर (***)

अध्यक्ष : आप इन बातों को छोड़िए। आप इनको बार-बार एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं कि ये मुझे धमकाते हैं। मैं जनजातीय क्षेत्र से आता हूं लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं क्योंकि न मैं डरता हूं और न मैं डराता हूं। यह बात ये अपने जहन से निकाल दें। यदि आसमान की ओर थूकोगे तो थूक अपने ऊपर ही गिरेगा।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे और मौका दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अंत में एक शेर बोलकर अपनी बात समाप्त करूंगा कि :

झूठ बोलकर लोग आजकल शर्मिंदा नहीं होते
बल्कि झूठ बोलकर बेगुनाह को गुनहगार बना देते हैं।
यहां झूठ भी बड़ी नजाकत और तमीज के साथ बोला जाता है,
हमें तो बीमारी है सच बोलने की शायद इसीलिए हमें बदतमीज कहा जाता है।

अध्यक्ष : आपकी यह बात पहले भी रिकॉर्ड में आई है। ...(व्यवधान) Please, please. ...(Interruption) I have permitted him. इसको देख लेते हैं अगर आएगा तो I will give you chance. ...(Interruption) मैंने उनको बिठा दिया है।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, इस माननीय सदन में 68 सदस्य हैं बाकी सदस्यों के साथ तो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक ही व्यक्ति के साथ बार-बार दिक्कत क्यों आ रही है, यह आपका और सबके आकलन का विषय है। अध्यक्ष महोदय, अगर रिकॉर्ड में देखें तो इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल किए हैं। मुझे (***)' बोला है जबकि मेरा कोई (***) शब्द रिकॉर्ड में नहीं है। दूसरी बात 'इस आदमी को किसने मुख्य मंत्री बनाया', मेरी पार्टी मुझे मुख्य मंत्री तय करती है और आपकी पार्टी आपको तय करती है। अध्यक्ष महोदय, इस सदन में 68 माननीय विधायक हैं। In terms of length के हिसाब से सबसे

05.12.2025/1300/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

ज्यादा टेन्योर मेरा है और इस सदन के अंदर मेरे 28 साल जनवरी के महीने में पूरे हो जाएंगे। यह मेरी छठी टर्म है और यहां बहुत सारे छठी टर्म वाले सदस्य हैं। श्री हर्षवर्धन चौहान और दो-तीन और माननीय सदस्य है, आप भी हैं। यह कोई घमंड का विषय नहीं है। यह हमारा अनुभव है और हम ऐसे नहीं कि उठाकर रख दिए गए हैं बल्कि हम चुनकर आए हैं। आज तक के हिमाचल प्रदेश के इतिहास में अगर सबसे ज्यादा वोट के मार्जिन की बात की जाए तो मुझे यह सौभाग्य मिला है और मैं हाईएस्ट मार्जिन से जीता हूं। यह मेरे लिए गर्व का विषय इसलिए है कि मेरी जनता ने मुझे जिताया है।

Speaker: You are very lucky and they should be thanked.

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, मैं उनका आभारी हूं और मेरे सौभाग्य से यह सम्मानित सदन और प्रदेश वाकिफ है। हमारा किसी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं है लेकिन यदि मामला इस प्रकार से आता है तो वह कमी मुझे भी ढूंढनी चाहिए और उनको भी ढूंढनी चाहिए कि किस वजह से ऐसा होता है और बार-बार क्यों होता है? इसलिए अध्यक्ष महोदय इन सारी चीजों का अगर आकलन होना है तो सोच-समझकर होना चाहिए। लोकतंत्र में बोलने का अधिकार सभी सम्मानित सदस्यों को बराबर है और ऐसा नहीं है कि मैं विपक्ष का लीडर हूं तो मुझे ज्यादा है या मुख्य मंत्री जी को ज्यादा समय दिया जाता है। यह ठीक है उनका अपना प्रैरोगेटिव है । He is Leader of the House. I am Leader of the Opposition. कुछ अधिकार रखते हैं जिनको आपने सुरक्षित किया है। जब भी आप बोलते हैं, Leader of the House कहकर अपनी ओपिनियन देते हैं और जब विपक्ष की ओर से हमें कुछ कहना होता है तो हमारा प्वाइंट ऑफ व्यू निश्चित रूप से अलग होता है और आपका अलग होगा। इससे कौन मना कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह की बेवजह की बहस का कोई अर्थ नहीं है।

मेरा मीडिया के प्रति सम्मान है ....

एन0एस0 द्वारा जारी ....

05-12-2025/1305/NS-AS/1

श्री जय राम ठाकुर-----जारी

मेरा मीडिया के प्रति सम्मान है चाहे सोशल मीडिया है या दूसरा मीडिया है तो सब इन सब चीजों का आनन्द लेते हैं। हम इस काम के लिए यहां नहीं आए हैं। हम जनता के मुद्दों को उठाने के लिए आए हैं। अगर हम जनता के उन मुद्दों को उठाएंगे तल्खी तो होगी। ऐसा आज ही नहीं हो रहा है जबसे सदन चला है तबसे यह सारा प्रदेश, दुनिया और देश देख रहा है। हमने इस माननीय सदन के अंदर ऐसा भी देखा है कि पूरा-पूरा सत्र एक ही इश्यू में स्टॉल हो गया- सत्र समाप्त भी हो गया लेकिन मुद्दा एक ही चला। हमने नेताओं को लड़ते देखा लेकिन बाद में एक साथ मारुति गाड़ी में जाते हुए देखा यानी फिर उनका समझौता भी हो गया। यह इतिहास का हिस्सा है और इसको छिपाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को दुनिया जानती है। हम जब जनहित के मुद्दों को उठा कर बात करने के लिए आए हैं तो ऐसे मुद्दों को आपको भी छोड़ देना चाहिए।

Speaker: Let's wind up this matter.

श्री जय राम ठाकुर: अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र आग्रह है कि इन चीजों से बाहर निकलना चाहिए। लेकिन यह भी नहीं है कि केवल एक ही आदमी सच बोलता है बाकी कोई सच ही नहीं बोलता है। सच्चाई हम भी बोलते हैं क्योंकि हमारा भी अनुभव है, हमारा भी फीडबैक है, हमारा भी रिसर्च है और हमारी भी जानकारी है, हम भी उसके आधार पर ही बोलते हैं।

अध्यक्ष : आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आपका मन बहुत बड़ा होना चाहिए। सारा जहर भी अंदर चला जाए तब भी पता नहीं लगना चाहिए।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, हमारा दिल बहुत बड़ा है लेकिन सत्ता पक्ष को भी बड़ा दिल रखना चाहिए।

अध्यक्ष : हां, इनका दिल उससे भी बड़ा होना चाहिए।

05-12-2025/1305/NS-AS/2

श्री जय राम ठाकुर : इनका और बड़ा दिल होना चाहिए। सत्ता पक्ष वाले जितना बड़ा दिल रखेंगे उतना ही अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं पांच वर्ष तक मुख्य मंत्री रहा हूं। कोई दिन ऐसा नहीं होता था जब किसी नेता या अधिकारी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं होती थी लेकिन हम उसके पीछे की मंशा देखते थे। कई बार नहीं बल्कि अनेकों बार हमने उसमें मंशा देखी लेकिन उसमें तथ्य और सच्चाई नहीं थी। इसलिए मैं चाहूंगा कि इन सारी चीजों को खत्म करना चाहिए। हम जनहित के मुद्दे के ऊपर बात कहेंगे ही कहेंगे। वे सत्ता पक्ष की सुविधा के हिसाब से नहीं हो सकते हैं, इनके टेस्ट के हिसाब से नहीं हो सकते हैं। इनको बुरा लगेगा लेकिन बार-बार जब मुख्य मंत्री जी कुछ बातों को लेकर कहते हैं तल्खी तो होगी ही। तल्खी क्यों नहीं होगी? मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही तो मीडिया कहता है। अगर हम कुछ नहीं बोलें तो कहते हैं कि कोई कार्यवाही नहीं हुई। अगर हम कुछ बोलते हैं तो कहते हैं कि ये बोलते हैं। मुद्दों पर चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, जनहित में चर्चा हो, यही आवश्यक है। मेरा यही निवेदन है कि इन सारी चीजों पर मिट्टी डाल कर आगे बढ़ें। हमें आगे की सोचनी चाहिए। यही लोकतंत्र की विशेषता है और यही लोकतंत्र की सुन्दरता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं। ये जो लिखा-पढ़ी करना, कागज आगे चलाना इसका कोई सार्थक परिणाम नहीं होता है। हम लोकतंत्र में है हम बोलेंगे, खुलेआम बोलेंगे और सामने बोलेंगे और उसका ही आनन्द आता है। (***)अध्यक्ष महोदय, इसलिए मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि आप इन विषयों पर अच्छी तरह से आकलन करें और उन पर नियंत्रण करें।

अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

05-12-2025/1305/NS-AS/3

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमारा दिल तो वैसे ही बहुत बड़ा है। जब भी नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए उठते हैं, मैं अक्सर बैठ जाता हूं और सत्ता पक्ष के सारे विधायक उनको बोलने के लिए भी बोलते हैं। आज तक आपकी जितनी भी कार्यवाही है उसमें आप देख लीजिएगा कि 80 प्रतिशत समय विपक्ष ने लिया होगा और 20 प्रतिशत समय सत्ता पक्ष को मिला होगा।

अध्यक्ष : अगर तब तक सब माननीय सदस्य सदन में बैठे होंगे तो मैं बता दूंगा।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अगर कोई नेता है चाहे मंत्री हैं तो मंत्री की अपनी गरिमा होती है। मंत्री के पद की गरिमा है, व्यक्ति की गरिमा नहीं है। किसी पोस्ट पर बैठ कर आप भी मुख्य मंत्री रहे हैं। इस मंत्री को यहां से बाहर करो। मैं कहना चाहता हूं कि वह हमारा अधिकार है। ये बोलते हैं कि मैंने आज तक नॉनसेंस शब्द नहीं बोला है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.12.2025/1310/RKS/AS-1

मुख्य मंत्री... जारी

मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप यहां से जाते-जाते बदतमीज शब्द बोल कर गए हैं लेकिन आप यह भूल गए हैं। आपने यहां से बोला कि बदतमीज है। अध्यक्ष महोदय, मैं इन चीजों को इसलिए याद करवा रहा हूं ताकि इन पर मिट्टी डाली जाए। यह आपने ही स्टार्ट किया था, मंत्री जी ने तो इसका खंडन किया है। ...(व्यवधान) यह हाउस में लिबरटी है कि यदि एक मंत्री अपनी बात रखना चाहता है तो वह सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। हमने यह कहा कि बात करते-करते आपने यह कहा था। आप भी हम पर कई प्रकार के आक्षेप लगाते हैं। आप भी कई बार आवेश में आकर गुस्से में हो जाते हैं। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो

आपका भी स्वभाव बदला हुआ है। आप कई बार बीच में उठकर खड़े हो जाते हैं। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप खड़े होते हैं तो आपके 10 विधायक हाथ खड़े कर देते हैं कि मैंने भी बोलना है। पिछले कल जब मैं यहां बैठा था तो माननीय मंत्री जी बोल रहे थे। उस समय सरकाघाट के विधायक श्री दलीप ठाकुर जी ने बड़ी बदतमीजी से बोला। मैंने इन्हें स्वयं देखा है। जब कोई मंत्री जवाब दे रहा होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है कई बार आवेश में जब आप उनके परिवारजनों तक पहुंच जाते हैं तो ऐसी बातें हो जाती हैं। श्री विपिन सिंह परमार जी ने भी आज गुस्से में बोला है। आपकी यह शब्दावली थी, 'इस मंत्री को'। मैंने अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया है कि आप इस शब्दावली को कार्यवाही से निकालने के आदेश दें। नेता सदन और नेता प्रपिपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है और आप हमें बोलने के लिए समय भी देते हैं। आप जिस प्रकार से सदन का संचालन करते हैं उसमें आपका यह उद्देश्य रहता है कि यहां पर सार्थक तरीके से विचारों का आदान-प्रदान हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि किसी के साथ बदतमीजी के साथ बात की जाए। मंत्री के पद की अपनी एक गरिमा है। किसे मंत्री बनाना, किसे हटाना यह हमारा अधिकार क्षेत्र है। आपको मुख्य मंत्री बनाना आपकी पार्टी का अधिकार क्षेत्र था। लेकिन यदि आप हमें ही आदेश देने लग जाएं कि हमने किसे मंत्री बनाना है तो उन बातों पर कलेश होता है। जब आप सदन में किसी के परिवारवालों को टच करेंगे तो स्वाभाविक रूप से आवेश आएगा। माननीय मंत्री जी को सभी चुनाव क्षेत्रों के लोग जानते हैं। ये कानून की पालना करना उचित समझते हैं। मेरा यह मानना है कि हम आपकी हर बात को सुनते हैं। आज आपके चार प्रश्न लगे थे। इनकी सूचना सभा पटल पर आई है। हम

05.12.2025/1310/RKS/AS-2

आपके प्रश्न लगा रहे हैं। यह ठीक है कि कई बार सूचना डिले हो जाती है लेकिन आने वाले समय में हम उसका भी जवाब देंगे। हमारा किसी के प्रति कोई द्वेषभाव नहीं है। मैं यह कहूंगा कि जिसने कानून के हिसाब से कार्य नहीं किया होगा उसकी जांच करवाना हमारा दायित्व है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हम आपके सामने सारी बात रखते हैं। हम आपको कहते हैं कि यह गलत हुआ है। अगर हमने कोई गलत किया होगा तो हम उसकी भी जांच

करवा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब से हमारी सरकार सत्ता में आई है तब से हमने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है। जब हमें लगा कि किसी अधिकारी ने मंत्री के खिलाफ एफ0आई0आर0 दर्ज करवाई है तो हमने उसमें पूरा सहयोग दिया। हमने किसी को प्रोटैक्ट नहीं किया। हम कानूनी रूप से सभी कार्य करना चाहते हैं। हमें काई भी ओवर रिएक्शन अच्छा नहीं लगता लेकिन यह हो जाता है। यह आदमी के स्वभाव में है कि जब वह क्रोधित होता है तो कई बातें बोल दी जाती हैं जो व्यक्तिगत रूप से पिंच होती है। यही आपकी और रेवेन्यू मिनिस्टर की तरफ से हुआ है। लेकिन राजस्व मंत्री जी ने काई गलत बात नहीं कही है। इन्होंने आपकी विचारधारा पर अटैक किया है। इन्होंने व्यक्तिगत अटैक नहीं किया है। कई जगह इनसे गुस्से में शब्द निकल गए जिन्हें आपने एक्सपंज करने के लिए आग्रह किया है और वे शब्द एक्सपंज होने भी चाहिए। सदन की कार्यवाही को सुचारु रूप से चलाने के लिए जो शब्द डेरोगेटिव होते हैं उसमें मेरा अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि आप उन्हें एक्सपंज करवाएं। वैसे आपने फैसला दे दिया है कि आप इन सारे शब्दों को एक्सपंज करवाएंगे। हम चाहते हैं कि जब विपक्ष की ओर विधायक दल का नेता प्रश्न पूछें तो उस समय अन्य विधायक हाथ न खड़ा करें क्योंकि उसके बाद आपके विधायकों को सप्लीमेंट्री पूछने का पूरा मौका दिया जाता है। हमें इन सब चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस सदन की अपनी एक गरिमा है। इस सदन की एक परम्परा है। यहां पर आपस में काफी वाद-विवाद होता है लेकिन इस सदन की यह खासियत रही है कि यहां सब विधायक अपने तरीके से बात रखते हैं। यहां पर जो 68 विधायक बैठे हैं उनमें से 90 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, लॉ ग्रेजुएट और डॉक्टर की उपाधी लेकर बैठे हैं। हमारे विपक्ष के साथी भी अच्छे सुझाव देते हैं। कई बार श्री जय राम ठाकुर, श्री रणधीर शर्मा, श्री विपिन सिंह परमार और डॉक्टर जनक राज जी अच्छे सुझाव देते हैं। श्री सतपाल सिंह सत्ती जी अपने तरीके

05.12.2025/1310/RKS/AS-3

से स्पष्टवादिता से बोलते हैं। हमारी ओर से भी सब विधायक स्पष्ट बोलते हैं। श्री जगत सिंह नेगी जी का स्वभाव है कि यह साफ-सुथरी और सच्ची बात कहते हैं। जब इस तरफ से इनको इरिटेशन हो जाती है तो वे गुस्से में कई बार इस तरह की बातें बोल देते हैं।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

05.12.2025/1315/बी.एस./डी.सी.-1

मुख्य मंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि जो शब्दावली चाहे नेता विपक्ष के खिलाफ बोली गई है, चाहे हमारे आदरणीय नेगी जी के खिलाफ बोली गई है या किसी अन्य सदस्य के खिलाफ बोली गई है ऐसी शब्दावली को पूरे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये और उसे रिकार्ड में न लिया जाए। इस माननीय सदन की जो गरिमा और परंपरा रही है उसके अनुसार आप इस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे, यही मैं आपसे कहना चाहूंगा। ...(व्यवधान)...

Speaker: All non-decorous words, वे सारे शब्द जो असंसदीय हैं ...(व्यवधान)। Hon'ble Members when Speaker speaks everybody has to sit and listen. I am speaking. ...(Interruption). When Speaker speaks everybody has to sit and listen. ...(Interruption). Please take your seats(to Members of Opposition). I am speaking. When Speaker speaks everybody should listen. When Speaker is speaking even then you all are raising your hands, you all must go through the Rules also. **All non-decorous words, सारे असंसदीय और अमर्यादित शब्द जो इस माननीय सदन के रिकार्ड पर हैं, चाहे वह सत्ता पक्ष की ओर से हैं, चाहे विपक्ष की तरफ से हैं वे सदन की कार्यवाही से निकाल दिए जाएंगे।**

Now the House is adjourned for lunch break. We will reassemble at 2.15 p.m. Thank you.

05.12.2025/1415/डीटी/एचके-1

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत 2.15 बजे अपराह्न आरम्भ हुई।)

अध्यक्ष : श्री विपिन सिंह परमार जी।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, आपने यहां पर व्यवथा दी है। जिन विषयों को लेकर इस सदन में चर्चा हुई उसमें आपकी इंटरवेंशन के माध्यम से जो वीडियो वायरल हुई है, इन शब्दों को लेकर आप कोई ठोस व्यवस्था दें। विधान सभा सचिवालय की ओर से कोई वीडियो या स्टेटमेंट बनाकर चली जाए कि उन शब्दों को डिलीट किया जा रहा है, उन सारे वाक्यों को एक्सपंज किया जा रहा है।

अध्यक्ष : मैंने यह पहले बोल दिया है that that matter is under examination with me. आप दूसरे प्वाइंट में बोलिए।

श्री विपिन सिंह परमार: अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है कि (***)

अध्यक्ष : मैंने कह दिया है कि सारे non-decorous and undesirable शब्द हटा दिए जाएंगे।

श्री विपिन सिंह परमार : अध्यक्ष महोदय, उसके बारे में हमने भी एक विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। कृपया करके आप इसको कंसीडर करने के बाद फैसला सुनाएं। हम यह चाहते हैं। हमने तथ्यात्मक और पूरी जानकारी के अनुसार आपको यह फाइल दी है। तीसरा, मुख्य मंत्री जी आपने कहा कि मंत्री जी को यह कहा उसमें मेरी भावना ऐसी नहीं थी।

Speaker : Shri Vipin Singh Parmar Jee, I have permitted you only to this extent.

श्री विपिन सिंह परमारः अध्यक्ष महोदय, श्री दलीप ठाकुर पहली बार के विधायक हैं। ऐसा लग रहा था कि मुख्य मंत्री नये विधायकों के ऊपर दवाब बना रहे हैं। आप और हम भी कभी नये विधायक थे। कृपया करके इन दो-तीन चीजों पर आप गौर कीजिए।

(***)अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

05.12.2025/1300/टी0सी0वी0/ए0एस0/-2

अध्यक्ष : अभी लगभग आधा घंटा पहले श्री विपिन सिंह परमार द्वारा और इसमें और भी सिग्नेट्रीज हैं एक नोटिस दिया है। इसमें राकेश जम्वाल और दो-तीन अन्य सदस्यों के सिग्नेचर्ज भी हैं।

श्री एन0जी0द्वाराजारी

05.12.2025/1420/एच.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष..........जारी

श्री राकेश जम्वाल भी हैं और दो-तीन अन्य माननीय सदस्यों के भी इसके ऊपर सिग्नेचर्स हुए हैं। इन्होंने भी Breach of Privilege under Rule -75 का एक विषय, जिसका संदर्भ आपने अभी दिया है, वही आपने लिख कर दिया है। And the Vidhan Sabha Secretariat will examine this and after examination की गई कार्रवाई से आपको व माननीय सदन को अवगत करवा दिया जाएगा।...(व्यवधान) अभी तो मैटर दिया है और दोनों एग्ज़ामिन हो रहे हैं तथा देखते हैं कि क्या होता है। धन्यवाद।

05.12.2025/1420/एच.के.-एन.जी./2

कागजात सभा पटल पर

अब कागजात सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब माननीय मुख्य मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित दस्तावेज़ों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :-

i. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I) (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या : 2) हिमाचल प्रदेश सरकार;

ii. भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए (संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-II) (वर्ष 2025 का प्रतिवेदन संख्या : 3) हिमाचल प्रदेश सरकार;

iii. हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध नियम, 2005 के नियम 7 के अन्तर्गत प्ररूप-5; और

iv. हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड के वार्षिक लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण प्रतिवेदन, वर्ष 2020 से लेकर 2024 तक (विलम्ब के कारणों सहित)।

05.12.2025/1420/एच.के.-एन.जी./3

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री ने सुबह मुझ से आग्रह किया था कि इन्हें कहीं जाना है और इनके विभाग से संबंधित बिल के संदर्भ में ये चाहते हैं कि इस बिल को पहले टेकअप कर लिया जाए। इसलिए आज की कार्यसूची में निहित नियम-62 के विषयों को मैं अभी के लिए डैफर करके विधायी कार्य को पहले ले रहा हूं और इसके बाद इन विषयों को लेंगे। अब सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण होगा।

विधायी कार्य

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

विचार:-

अब माननीय राजस्व मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री, मेरा आपसे आग्रह है कि इससे पहले इस बिल पर विचार हो, इसके 'Object & Reasons' हैं या सरकार व विभाग की इस बिल के पीछे जो मंशा है, उसे आप एक्सप्लेन कर दीजिए ताकि जिन-जिन माननीय सदस्यों ने इस पर हिस्सा लेना होगा, वे ठीक तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाएंगे। Hon'ble Revenue Minister please briefly tell the House what is this amendment about.

...(व्यवधान) आपने जो संशोधन दिया है, वह रिजैक्ट हो चुका है लेकिन मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आपका संशोधन दो दिन पहले आना चाहिए था क्योंकि यह बिल पहली दिसम्बर को पुरःस्थापित हुआ था और कोई भी संशोधन 24 घण्टे के अंदर आना जरूरी होता है। माननीय राजस्व मंत्री, आप बोलिए।

05.12.2025/1420/एच.के.-एन.जी./4

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, 'Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972.' इसमें जो प्रस्तावित संशोधन यहां पर बिल के माध्यम से लाया गया है, उसके 'STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS' पर मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं। Section 118 of the Himachal Pradesh Tenancy and Land Reforms Act, 1972 regulates the transfer of land to non-agriculturists. Over the time period, the socio-economic conditions of the State have significantly evolved and the Government is actively promoting private investment to strengthen the economy. While preserving the core intent of section 118, certain provisions require simplification and new enabling measures are necessary to facilitate genuine investment. It has been observed that, in many cases, investors who acquire land with bona fide intent are unable to complete projects within the stipulated period due to factors beyond their control. To address such genuine constraints a mechanism for extension of time, on payment of a prescribed penalty has been proposed. इसमें एक तो यह है।

To promote business activity in rural areas, short-term lease of buildings up to ten years have been proposed to be exempted from the purview of section 118.

In order to enhance ease of doing business in the housing and real estate sector, the existing exemption relating to purchase of land and flats from

Himachal Pradesh Housing and Urban Development Authority is proposed to be extended to subsequent purchasers. An exemption is further proposed for the non-agriculturists purchasing completed buildings or flats developed by private real estate developers.

Continued by Revenue Minister in English by Y.K…..

05.12.2025/1425/वाई0के0-पी0बी0/1

राजस्व मंत्री...जारी

In Himachal Pradesh, the co-operative movement covers almost every village, and most co-operative societies consist predominantly of agriculturist members. However, being separate legal entities, neither such societies can purchase land as agriculturists, nor their agriculturist members can transfer their own land to such societies for genuine economic activities. Nearly twenty lakh people are associated with the co-operative movement in the State. Allowing co-operative societies composed entirely of agriculturist members to acquire land without permission under section 118 will not only enable agriculturists to undertake new ventures by utilizing their own land, but will also contribute to employment generation, increase per capita income, and strengthen the State's economy. As most societies are transitioning into multipurpose societies, they will have greater opportunity to undertake economically beneficial projects for their members and the State. This has necessitated amendments in the Act *ibid*.

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा विपक्ष के माननीय सदस्यों ने दो-चार दिनों से एक मुहिम शुरू की है कि सरकार द्वारा इस बिल के माध्यम से धारा-118 में संशोधन कर प्रदेश की ज़मीन को बाहर के लोगों को बेचने की मुहिम शुरू की गई है। परंतु इस बिल में कहीं भी धारा-118 को कमज़ोर नहीं किया जा रहा है। इस बिल में केवल धारा-118 के प्रोविजन में कुछ संशोधन किए जा रहे हैं जिसे मैं संक्षिप्त में कहूं तो बिल में जो क्लॉज-4 है "added in sub-section (1) of section-11 for exempting lease buildings for ten years in rural areas." ग्रामीण क्षेत्रों में किसी build up structure को किराये पर देने के लिए धारा-118 के तहत अनुमति लेनी पड़ती है। यह बात सभी को मालूम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों लोगों ने अपने मकानों को किराये पर दिया हुआ है या किसी मकान को स्टोर या फैक्टरी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। परंतु यह सब अवैध रूप से हो रहा है। लोग धारा-118 में अनुमति लेने से बचने के लिए 11 महीने का एग्रीमैंट बनाते हैं क्योंकि 12 महीने से ऊपर का एग्रीमैंट बनाने पर उन्हें अनिवार्य रूप से धारा-118 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है,

05.12.2025/1425/वाई0के0-पी0बी0/2

नहीं तो उसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। इसलिए मकान किराये पर लेने वाले और अपने मकान को किराये पर देने वाले दोनों ही इलीगल काम कर रहे हैं। इससे प्रदेश को स्टैम्प ड्यूटी के रूप में मिलने वाले रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है। बिल में लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में मकान को धारा-118 के तहत परमिशन लेकर ही किराये पर देना है। हमने म्यूनिसिपल एरिया में build up structure को किराये पर देने के लिए धारा-118 के तहत अनुमति लेने में छूट दी हुई है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उनके build up structure को धारा-118 के तहत जो अनुमति लेने की जरूरत है, हम उसे एग्जेम्पट कर रहे हैं ताकि लोग दस वर्षों तक मकान को लीज पर दे सकें और लीगली उसकी रजिस्ट्री करवा सकें। इस तरह से इस बिल में कहीं भी भूमि हस्तांतरण या धारा-118 को कमज़ोर नहीं किया जा रहा है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि मकान या बिल्ड-अप एरिया को 10 वर्षों के लिए लीगली लीज कर सकते हैं, लोगों को इलीगल काम करने की जरूरत नहीं हैं। इस प्रकार का प्रावधान वर्ष 2004 से पहले भी था। पूर्व की भाजपा सरकार ने वर्ष 2020 में इस प्रोविजन को विदड्रॉ किया जिससे नुकसान यह हुआ कि सभी लोग इलीगल काम कर रहे हैं। इसमें ग्रामीणों को

राजनीतिक लोग और अधिकारी भी डरा-धमका रहे हैं। इसके कारण भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है।

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी, इस बिल में तीन भाग हैं जिसमें एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित है। आप इस बिल में तीन भागों में संशोधन कर रहे हैं।

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं पहले भाग की बात कर रहा हूं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष को इस बारे में ज्यादा चिंता है।

अध्यक्ष : राजस्व मंत्री जी, जब यह चर्चा में आएगा आप तब इसका जवाब दे देना। आपने "Objects and Reasons" पढ़ लिए हैं और अब यह बिल चर्चा में आ चुका है।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश अभिधृति और भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 25) पर विचार किया जाए।
इस पर माननीय सदस्य बोल सकते हैं तथा माननीय राजस्व मंत्री इसका उत्तर देंगे।। am opening it for debate now. माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी इस चर्चा में भाग लेंगे।

05.12.2025/1425/वाई0के0-पी0बी0/3

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य मंत्री डा0 वाई0एस0 परमार जी ने हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिलवाने के बाद

श्री ए0पी0 द्वारा जारी....

05.12.2025/1430/वाई.के/ए.पी./01

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

अध्यक्ष महोदय, हिमाचल और हिमाचलवासियों के हित में सबसे बड़ा काम वर्ष 1972 में किया गया था, जब हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लागू हुआ। इस एक्ट की धारा-118 के अंतर्गत जो व्यक्ति हिमाचल प्रदेश के कृषक नहीं हैं, उन्हें जमीन खरीदने पर रोक लगाई गई थी। हम सब डॉ0 वाई0एस0 परमार जी को हिमाचल निर्माता मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। परन्तु समय के साथ-साथ जिस मूल भावना के साथ धारा-118 हिमाचल प्रदेश टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट लाई गई थी, उस मूल भावना को कमजोर करने का काम लगातार प्रदेश सरकारों द्वारा समय-समय पर किया गया है। परंतु आज जो संशोधन आया है, वह इस धारा-118 की भावना को और अधिक कमजोर करने का काम करेगी। शायद वर्तमान सरकार को राजस्व की अधिक चिंता है, इसलिए निर्णय भी राजस्व की दृष्टि से ही लिए जा रहे हैं, चाहे उसमें हिमाचल प्रदेश के आम नागरिकों के हितों का कुठाराघात हो रहा हो, चाहे हमारे प्रदेश की सभ्यता एवं संस्कृति को नुकसान पहुंच रहा हो। माननीय राजस्व मंत्री जी ने जिस संशोधन की चर्चा की है, वह धारा-118 के sub-section (1) clause (iii) में इन्होंने इंसर्ट किया है। इसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में भी गैर-कृषक व्यक्ति संपत्ति को 10 साल तक लीज पर ले सकते हैं और उन्हें इसके लिए धारा-118 के अंतर्गत अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। हम कितना बड़ा अपराध करने जा रहे हैं। आज हिमाचल प्रदेश में कई भवन होम स्टे के नाम पर चलाए जा रहे हैं। अभी तक भवन बनाने वाला स्वयं उसे चलाता है या किसी हिमाचली को लीज पर देकर चलवाता है। लेकिन इस संशोधन के बाद अन्य पड़ोसी राज्यों से लोग आएंगे, भवनों को लीज पर लेंगे और वह होम स्टे चलाएंगे। वे बाहर से ही अपना स्टाफ रखेंगे, जिससे रोजगार भी बाहरी लोगों को मिलेगा। इन होम स्टे में ऐसे कार्य होंगे जो हमारी पहाड़ी संस्कृति के अनुरूप नहीं होंगे। इस प्रकार हम बाहरी लोगों को खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि वे आएं और ग्रामीण क्षेत्रों में आकर व्यापार और बिजनस करें, किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि यह संशोधन धारा-118 की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि उस समय तो पूरे प्रदेश में लागू किया गया था, बाद में

05.12.2025/1430/वाई.के/ए.पी./02

अमेंडमेंट करके अर्बन में अलाऊ किया और अब आप रूरल में भी अलाऊ कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में लागू कर रहे हैं। इससे हमारे प्रदेश के लोग कहां जाएंगे। आज हमारा कोई व्यक्ति जाकर किसी एरिया में जाकर होम स्टे ले लेता है लीज पर या कोई भवन बिजनस के लिए लीज पर ले लेता है परंतु जब बाहर से जो एग्रीकल्चर नहीं है, दूसरे प्रदेशों से आएंगे वह जो किराया देंगे और वे जो लीज मनी देंगे उसको हमारे लोग कंपीट नहीं कर पाएंगे। और यही भावना था धारा-118 की कि बाहर के लोग ज्यादा पैसा देकर हमारी जमीनें खरीदेंगे और खरीद कर यहां के लोगों को भूमिहीन कर देंगे। इस संशोधन के माध्यम से हम उनका ही रास्ता खोल रहे हैं । आपने इस एक्ट में जो संशोधन पढ़ा है, वह शायद आधा पढ़ा हुआ है पर इस इस संशोधन में प्रावधान यह है कि चtransfer by way of lease of a building or part thereof situated in a rural area for a period of not exceeding ten years.छ इसके आगे एक और लाइन भी है जिसको आपने नहीं पढ़ा उसमें लिखा है कि च extendable further for the same period.छ

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

05.12.2025/1435/AT/AG. 01

श्री रणधीर शर्मा जारी...

इसका मतलब है कि 10 साल के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाएगा। इसका मतलब है कि आप 20 साल के लिए लीज खोल रहे हैं और बाहर का व्यक्ति आकर किसी भवन को 20 साल तक अपने पास रखेगा। वहां पर बिज़नेस जम जाएगा। वह फिर वापस जाने वाला नहीं है। हमारे लोग रोजगार से वंचित होंगे, बाहर के लोग आकर हम पर राज करेंगे। हमारे बिज़नेस और हमारी प्रॉपर्टीज़ पर राज करेंगे। धीरे-धीरे आपके बगीचे लीज़ पर जाएंगे, धीरे-धीरे जमीन भी लीज़ पर जाएगी और एक तरह से बाहरी लोगों को हिमाचल में 20-20 साल तक बसने का निमंत्रण दे रहे हैं। 20 साल में तो 10 साल बाद ही नई जनरेशन आ

जाती है। तो आप किस तरह से जो आदरणीय परमार जी ने धारा-118 लाकर हिमाचल के हितों की रक्षा करने का प्रावधान किया था, हिमाचल की सभ्यता और संस्कृति को बचाने का कार्य किया था, उसे आप कैसे कुठाराघात कर रहे हैं? वह आकर कुछ भी करेंगे और होमस्टे में क्या-क्या होगा, मैं उसका वर्णन नहीं करना चाहता, आप समझ सकते हैं। उन्हें हमारी पहाड़ी संस्कृति की चिंता नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अमेंडमेंट भी दिए, पर आप मेरी हर अमेंडमेंट को रिजेक्ट कर देते हैं... (व्यवधान)....हम आपकी चीजों को चुनोती थोड़ी दे सकते है।... (व्यवधान)

अध्यक्षः सुनो, अब आपने रेफर कर दिया है तो सुनो... (व्यवधान) एक मिनट बैठ जाओ, कहां और कैसे रिजेक्ट हुआ, मैं बता देता हूं। माननीय रणधीर शर्मा जी ने इस बिल के ऊपर 5 संशोधन की सूचना दिनांक 03.12.2025 तक सुबह 10:00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए थी। बिल 1 तारीख को इंट्रोड्यूस हुआ और हमारे नियम के अनुसार सूचना हमें 24 घंटे के भीतर मिल जानी चाहिए थी। आपने अमेंडमेंट की सूचना आज सुबह दिनांक 05.12.2025 को 9:24 बजे दी, इसलिए इसे अस्वीकृत किया गया, फिर भी आप बोल रहे हैं I have given you permission.

05.12.2025/1435/AT/AG. 02

श्री रणधीर शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले यह व्यवस्था थी कि जिस दिन बिल इंट्रोड्यूस होता था उसी दिन सुबह 10:00 बजे से पहले तक सूचना दी जा सकती थी।

अध्यक्षः आपने तो आज दी है। यह बिल आज डिस्कशन पर लगा है और आज इसलिए लगा है क्योंकि माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अनुरोध किया था कि पिछले कल आपका प्रोटेस्ट है, इसलिए इस बिल को आज के लिए डेफर कर दिया जाए।

श्री रणधीर शर्माः माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं।

Speaker: I am referring to the rules.

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात, सेक्शन 118 के सब-सेक्शन (2) में क्लॉज़ (e) को भी सब्स्टीट्यूट किया गया है और उसमें इन्होंने कंपनी एक्ट में बदला है उस का रेफर किया है, और बाद में कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलाउ किया है। यह ठीक है। उसमें इन्होंने प्रावधान किया है कि उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को एग्ज़ेम्प्ट किया जाएगा, यदि उसके सारे मेंबर्स एग्रीकल्चरिस्ट होंगे। परंतु जब आप कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलाउ कर रहे हैं, तो कंपनी एक्ट में जो कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, उन्हें भी करना पड़ेगा वह भी सेम कंडीशन है। फिर हम तो चाहेंगे कि धार्मिक संस्थाएं जो केवल आध्यात्मिक कार्य करती हैं, कोई प्रॉफिट-लॉस नहीं करतीं, कोई बिज़नेस नहीं करतीं और उनके मेंबर्स भी कृषक हैं, तो आप उन्हें भी अलाउ करें। आप यह पिटारा खोलना चाहते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, पर उससे जो भावना प्रकट होती है उस पर आप जरुर ध्यान दें। मैंने इस अमेंडमेंट का विरोध नहीं किया है, लेकिन आगाह जरूर कर रहा हूं कि इससे आगे और रास्ते खुलेंगे। आप आज ही अलाउ कर दें कि धार्मिक संस्थाओं कृषक मेंबर होंगे उनको अलाउ किया जाता है , कंपनी को भी अलाउ किया जाता है। अन्यथा केवल इस तक लिमिट रखना तार्किक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सब-सेक्शन (4) में क्लॉज़ (g) में कुछ सब्स्टीट्यूट करके इन्होंने ऐड किया है कि जो प्रॉपर्टीज हाउसिंग बोर्ड या डेवलपमेंट अथॉरिटीज बेचती हैं अब तक स्थिति यह थी कि यदि किसी

05.12.2025/1435/AT/AG. 03

ने वह प्रॉपर्टी खरीदी है और वह आगे बेचना चाहता है, तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है, और जो सक्सेसिव बायर होता था, उसे भी धारा 118 की परमिशन लेनी पड़ती है।

एम0डी0द्वारा जारी...

05-12-2025/1440/AG/MD/1

श्री रणधीर शर्मा---जारी

परंतु इस संशोधन के माध्यम से आप उन्हें भी छूट दे रहे हैं। आप सक्सेसिव बायर्स को भी एक्ज़ेम्प्ट कर रहे हैं। मैं इस बात को सही ढंग से समझ पा रहा हूं, क्योंकि कुछ प्रावधानों में

यह संशोधन काफी साइलेंट है। लेकिन यदि वास्तव में ऐसा किया जा रहा है, तो यह निश्चित रूप से दुखद बात है। क्योंकि इससे यह होगा कि सरकार के नजदीकी लोग 118 की अनुमति लेकर प्रॉपर्टी खरीदेंगे और फिर वही प्रॉपर्टी उन लोगों को महंगे दामों पर बेच देंगे जिनकी सरकार तक पहुंच नहीं है या जो 118 की अनुमति नहीं ले सकते। यह दलालों और मिडिएटर्स के लिए रास्ता खोल देगा, जिससे प्रॉपर्टी को ऊंचे दामों पर बेचने का चलन बढ़ेगा। इसका परिणाम यह होगा कि हिमाचल में प्रॉपर्टियां महंगी हो जाएंगी, बाहरी लोग बड़ी मात्रा में खरीदारी करेंगे और हिमाचली उन प्रॉपर्टियों को कंपीटिशन में आकर नहीं खरीद पाएंगे। इसी तरह 'रेरा' में जो संशोधन किया गया है, उसमें भी 500 वर्गमीटर तक छूट दी गई है। वहां भी सक्सेसिव नॉन-एग्रीकल्चर खरीददारों को एक्ज़ेम्प्शन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पहले जो व्यक्ति 118 की अनुमति लेकर प्रॉपर्टी खरीदता था, उसे 2 वर्ष के भीतर निर्माण करना अनिवार्य था और 1 वर्ष की एक्सटेंशन देने का प्रावधान था। अब आप इस अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष कर रहे हैं, और उसके बाद एक-एक वर्ष की 5 और एक्सटेंशन दी जा सकती हैं। अर्थात कुल 10 वर्ष का समय दिया जाएगा। बीच में कुछ जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है, जो राजस्व बढ़ाने की सोच से किया गया प्रतीत होता है। लेकिन मेरे विचार में यह हिमाचल प्रदेश में प्रॉपर्टी डीलरों की एक बड़ी फौज खड़ी करने का काम करेगा। पहले 2-3 वर्ष में प्रॉपर्टी की कीमतें इतनी नहीं बढ़ती थीं, इसलिए मालिक निर्माण करते थे। यदि वे नहीं करते थे, तो वह प्रॉपर्टी सरकार में निहित हो जाती थी। अब आप इसे 10 वर्षों का समय दे रहे हैं तो 10 वर्षों में प्रॉपर्टी की कीमतें कई गुना बढ़ जाएंगी, और लोग निर्माण करने के बजाय उसे 10, 20, 30 गुना दाम पर बेचने को ही लाभदायक समझेंगे। सक्सेसिव बायर्स को पहले ही छूट दे दी गई है। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश के अंदर 118 के तहत जो नॉन-एग्रीकल्चर बाहरी लोगों पर स्वाभाविक नियंत्रण था, वह लगभग समाप्त हो जाएगा और बाहर के लोगों को खुला निमंत्रण मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण बिल है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि इस प्रकार के बदलाव सिर्फ वही

05-12-2025/1440/AG/MD/2

समस्याएं उत्पन्न नहीं करेंगे जिनका मैंने उल्लेख किया है, बल्कि आप जितना इसका स्वरुप बदलेंगे नुकसान भी उतना ही होगा। हिमाचल प्रदेश में यदि भवन निर्माण बढ़ेगा, तो

पेड़ अधिक कटेंगे, पर्यावरण को भारी क्षति होगी। पहले ही हम आपदाओं से जूझ रहे हैं, और अत्यधिक भवन निर्माण के कारण पहाड़ों पर संकट गहरा रहा है। यह संशोधन उस नुकसान को और बढ़ाएगा। हमें पर्यावरणीय प्रभावों पर भी गंभीरता से विचार करना होगा चाहे वह पेड़ों की कटाई के कारण हो, जल संसाधनों के नुकसान के कारण हो, या अन्य पारिस्थितिक कारणों से हो तो उसको भी हमें ध्यान में रखना होगा। बाहर के लोगों का अत्यधिक आगमन हमारी पहाड़ी संस्कृति को प्रभावित करेगा। हम भोले-भाले पहाड़ी लोग अपनी संस्कृति सभ्यता में रहते हैं, और हमें उस पर गर्व है।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

05/12/2025/1445/केएस/एएस/1

श्री रणधीर शर्मा जारी ---

परंतु इस तरह बाहर के लोगों को सिर्फ रेवन्यू के चक्र में कि आप स्टाम्प ड्यूटी लगा दो, फाइन लगा दो, इस तरह प्रॉपर्टीज़ को खोलने के रास्ते बना देंगे तो आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश अपनी पहचान खो देगा। अध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल पर ये अमेंडमेंट ले कर आए हैं। हमारी मांग है कि इन अमेंडमेंट्स को वापिस लिया जाए परंतु अगर सरकार की ईगो है, जो हमें हर बार देखने को मिलती है तो कम से कम इसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए। आप सिलेक्ट कमेटी बनाएं। इसके प्रत्येक पहलू पर विस्तृत विचार-विमर्श हो। रेवन्यू विभाग के अधिकारी भी, जिन्होंने ये सुझाव दिए होंगे, उनसे भी चर्चा हो और बजट सत्र में अमेंडमेंट्स लाईं जाएं, ऐसा मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और जो हिमाचल प्रदेश की सभ्यता और संस्कृति बची है, जो पहचान बची है उसको जो सेक्शन 118 के कारण खतरा पैदा हो रहा है, उसको हम रोक सके। यह मेरा आपके माध्यम से निवेदन है।

Speaker : Since he has requested for a Select Committee, ...(Interruption) नहीं, एक मिनट, तो फिर नेगी जी बोल लें। ...(व्यवधान) एक मिनट नेगी जी, आप बैठ जाएं।

ऐसा है, मैंने इसको ओपन डिबेट के लिए खोल दिया है। अब दोनों तरफ से हाथ उठ रहे हैं और आज सत्र का आख़िरी दिन है। नेगी जी जाना चाह रहे हैं। अभी और भी बिजनैस है। ...(व्यवधान) एक मिनट, मैं एक्सप्लेन कर दूं। समय हमारे पास लगभग 2 घण्टे का समय बचा है। इन सारी परिस्थितियों को भांपते हुए इसीलिए इस सदन के नेता से हम कह रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट विपक्ष की तरफ से आई है, अभी सदस्य जो भी हाथ खड़ा कर रहे हैं, बोलते रहें और जब सिलेक्ट कमेटी होगी तो everybody has right to address himself. तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय।

05/12/2025/1445/केएस/एएस/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार ने बहुत सोच-समझकर यह अमेंडमेंट लाई है और पहली बात तो यह है कि यह किसी प्रकार की लैंड को बेचने के अधिकार से सम्बन्धित नहीं है। इसमें हमने सिर्फ इतना प्रावधान किया है कि जो हमारी सोसायटीज़ हैं, उसमें यह कहा गया है कि जितने भी हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, अगर कोई 118 की परमिशन से उनको एग्ज़म्पट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भारत सरकार के पैक्स (PACS) से सम्बन्धित कॉप्रेटिव डिपार्टमैंट के माध्यम से उसका लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे हमारी पंचायतों में राशन वाली सोसायटी है या कोई और सोसायटी है, उसको 118 की परमिशन से एग्ज़म्पट करने की बात की गई है और उन्हीं को की गई है जिसमें सारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो आपने कहा भी है। उसमें हमने यह भी कहा है कि अगर कोई नॉन एग्रीकल्चरिस्ट एक भी आदमी उसमें कभी भी आ जाता है तो सारी की सारी लैंड उसकी वेस्ट हो जाएगी, एक तो यह अमेंडमेंट लाई है। दूसरे, लीज़ वाले मामले में मैं थोड़ा सा यह कहना चाहूंगा कि उसमें थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है । इस मामले में आपने हमारे ध्यान में एक-दो बातें लाईं हैं। तीसरी बात, ऐसा है कि 118 की परमिशन जब हम फ्लैट वाले को दे देते हैं जो हाउस बोर्ड और रेरा में है, अब क्या हो रहा है, आपकी बात सही है जब हमने 118 की एक प्रोजेक्ट को, एक फ्लैट को परमिशन दे दी तो फिर बेचारा दूसरा जब खरीदने आता है तो फिर एक फ्लैट को फिर परमिशन देनी पड़ेगी। तो उस चीज़ में कइयों की दुकानें चलती हैं, कइयों की दुकाने खुल जाती हैं। उस चीज़ को दूर करने के लिए हमने एक अमेंडमेंट यह भी लाई है। तीसरी अमेंडमेंट लाई गई है कि किसी भी प्रोजेक्ट का जिसको आपने 5

साल में 118 की परमिशन दी, मान लो होटल की दी तो होटल की परमिशन के समय आपका पांच साल में होटल नहीं बना परंतु आपका 70 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया, इस चीज़ को आपने भी अमेंड किया कि 3 साल में किसी होटल का कार्य नहीं हुआ फिर उसके बाद पटवारी या तहसीलदार उसको नोटिस दे देते हैं। जिस आदमी को 118 की परमिशन मिली, 5 साल में उसने 70 प्रतिशत काम कर दिया उसको टाइम की एक्सटेंशन देने के लिए लाए हैं। उसका हमने रूल में प्रोविज़न करना है। ऐसा नहीं है कि 10 साल तक प्लॉट रखे रखा और उसके बाद आगे को उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

05.12.2025/1450/av/as/1

मुख्य मंत्री --------- **जारी**

ऐसा है, जिसका काम 30 या 40 प्रतिशत हो चुका है उसको हम एक्सटेंशन का प्रोविजन लाए हैं कि किसी कारणवश उसके काम में अड़चनें आती हैं, अड़चनें होती हैं जैसे धारा 118 में लोकल वाला कई बार पानी का एन0ओ0सी0 नहीं देता और कई बार उसको टी0सी0पी0 के अंतर्गत समय लग जाता है। हमने तो परमिशन दे दी लेकिन उसको नक्शा पास करने के लिए सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने की जरूरत होती है। हम इसलिए लाए हैं न कि किसी प्राइवेट को देने के लिए लाए हैं। फिर भी जैसे माननीय सदस्य ने कहा है तो मैं चाहूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाए और मैं माननीय मंत्री से भी अनुरोध करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी में जो-जो मेम्बर्ज बैठने होंगे, उनके भी सुझाव ले लिए जाएं। इसमें 118 को एग्जेम्प्ट करने की कोई बात नहीं की गई है। आपने इसको गलत समझा है और आपने इसके लिए धरना भी दिया। यह सिर्फ उन अमेंडमैंट्स को जोकि आपके द्वारा भी लाई गई हैं, उनको ठीक करने के लिए लाया है। इसमें कुछ गलत नहीं किया है। हम किसी को एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे हैं या किसी को 5 वर्षों की छूट दे रहे हैं। यह केवल सही ढंग से रेगुलेट करने के लिए लाया गया है। हालांकि होता उसके बाद भी वही कि मुख्य मंत्री के पास फाइल आ जाती है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि इसको रूल के तहत मान लिया जाए। अगर छठे वर्ष हम परमिशन दें तो उस पर प्लॉट के हिसाब से पेनल्टी लगाई

जाए कि इतने पैसे और दो तथा इसको पूरा कीजिए। हम केवल कम्पलीशन के लिए इसको लेकर आए हैं। आपने रेरा में फ्लैट्स की परमिशन्ज दे दीं और ऐसे ही आपने बद्दी में इण्डस्ट्री में किया हुआ है। इण्डस्ट्री में तो आप किसी को पूछते ही नहीं है। बद्दी में आपने इण्डस्ट्रियल एरिया में 4500 बीघा जगह दे दी। उसमें भी किसी को नहीं पूछा गया।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए।

05.12.2025/1450/av/as/2

अध्यक्ष : माननीय सदन के नेता और विरोधी दल से माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा के द्वारा किए गए आग्रह कि इस संशोधन बिल को विधान सभा की सिलेक्ट कमेटी को भेजा जाए, I agree with this suggestion and the request from the Leader of the House as well as from the Opposition. Now, I would be consulting with the Hon'ble Revenue Minister and then we constitute the Select Committee which will consist Members of both the sides of this House. The Select Committee's period will be fixed. In regard to this Bill, the Committee has to complete its meetings in a time bond manner and will come up with its final recommendations and those recommendations will be presented in the next year's Budget Session. ….(Interruption) We are not still passing the Bill we are just considering it. ….(Interruption) The Select Committee has now been constituted. This Committee will now look into all these affairs. So, there is no need to make any reference because everything is going to the Selected Committee now. Whatever have been reported by the press that is of no use now, in view of the statement of the Hon'ble Chief Minister. If any Press has reported anything which is undesirable, they may correct their record as per the statement of the Hon'ble Chief Minister and as per the proceedings of

---

House also. This is what I want to request to the BB, print and electronic media.

05.12.2025/1450/av/as/3

नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अब नियम-62 के अंतर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होंगे। इसमें दो माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आए हैं। पहले माननीय सदस्य श्री लोकेन्दर कुमार अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। अं---

श्री लोकेन्दर कुमार : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आनी विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विद्यालयों में शीतकालीन अवकाश में बदलाव करने से उत्पन्न स्थिति बारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र एक पहाड़ी एरिया है और आजकल सर्दियों का समय है। जब इस बारे में चर्चा भी हो रही थी तो स्कूल शिक्षकों और एस0एम0सीज0 ने इस बदलाव के लिए अपनी हामी नहीं भरी थी। लेकिन फिर भी वहां पर सरकार और विभाग के द्वारा सर्दियों की छुट्टियों को बंद कर दिया गया। वहां आनी और निरमण्ड के निचले स्कूल्ज को छोड़कर बाकी सभी जगह ठण्ड हो चुकी है तथा पानी जमना शुरू हो गया है। वहां पर बच्चे ठण्ड के समय स्कूल्ज के अंदर आ रहे हैं। मैं सरकार और विभाग से यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे आनी विधान सभा क्षेत्र के लिए जो छुट्टियों के संदर्भ में प्रस्ताव लाया गया है, इसमें शिक्षकों और एस0एम0सीज0 ने पहले भी कहा था कि जो 45 दिन की छुट्टियां होती हैं उसको कम करके 30 दिन किया जाए तथा पहली फरवरी से स्कूल्ज को खोला जाए।

टी सी द्वारा जारी

05.12.2025/1455/टी0सी0वी0/एच0के0/-1

श्री लोकेन्दर कुमार ... जारी

परंतु इसे नहीं माना गया तथा स्कूलों को अभी चलाए रखा गया जिससे वहां पर बच्चों व अभिभावकों को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि जब पानी जमना शुरू हो जाता है तो उससे बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहां स्कूल पहाड़ों पर हैं और बच्चों को स्कूल आने में कष्ट होता है। आनी के स्कूल में लगभग 12 बज़े धूप आती है इसलिए बच्चे किस तरह से वहां पढ़ाई करेंगे। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान दे और इसमें बदलाव करे। धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Revenue Minister will reply on behalf of Hon'ble Education Minister.

राजस्व मंत्री (प्राधिकृत) : अध्यक्ष महोदय, जिला स्तर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुरूप सरकार के अनुमोदनार्थ दिनांक 29.03.2025 के पश्चात गत दो वर्ष, 2 अप्रैल, 2025 को जिला कुल्लू की सभी पाठशालाओं को कुल्लू दशहरा महोत्सव के कारण की जाने वाली अतिरिक्त छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए ग्रीष्मकालीन घोषित किया गया। इसमें आनी विधान सभा क्षेत्र की वे पाठशालाएं भी सम्मिलित की गई जो पूर्व में शीतकालीन अवकाश व्यवस्था के अंतर्गत आती थीं। इस बदली गई अवकाश सारिणी के कारण अगर कुछ पाठशालाओं में मौसम के कारण असुविधा हो रही है तो इस निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है **और यदि आनी विधान सभा क्षेत्र की कुछ पाठशालाएं ऐसी हैं जो इस व्यवस्था में परिवर्तन चाहती हैं तो स्कूल मैनेजमैंट कमेटी के माध्यम से प्रस्ताव प्राप्त होने पर विभाग द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा, धन्यवाद।**

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री आर0 एस0 बाली जी अपना ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे और उप-मुख्य मंत्री महोदय उसकी चर्चा का उत्तर देंगे।

श्री आर0एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से नियम-62 के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि 'to call the attention of the House regarding non-regularization/ placement on contractual basis of MPW/MTWs in Jal Shakti Vibhag.' इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से एक बहुत ही

05.12.2025/1455/टी0सी0वी0/एच0के0/-2

संवेदनशील मुद्दा उठाने जा रहा हूं और यह समाज के अभावग्रस्त लोगों से जुड़ा हुआ है। समाज के वे लोग जिनको नौकरी की सबसे ज्यादा जरूरत है और समाज के वे लोग जो नौकरी इसलिए करते हैं कि अपनी दिनचर्या की जरूरतें पूरी कर सकें, उन तबकों के बारे में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। जल शक्ति महकमे की बात हो या लोक निर्माण या अन्य विभागों की बात हो लेकिन आज मैं आपके समक्ष जल शक्ति विभाग में लगी तीन नौकरियों की बात करना चाहूंगा जिनकी वर्ष 2017 में नींव रखी गई। इनमें पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर और मल्टीपर्पज वर्कर (एम0पी0डब्ल्यू0) और इसी तरह लोक निर्माण विभाग में नौकरियां दी गई जिसमें मल्टीटास्क वर्कर रखे गए। ये वे लोग हैं जिन्हें 6,600 या 5,500 रुपये महीना मिलता है और ये वे लोग हैं जो 5,500 रुपये में अपने घर का गुजारा करते हैं अपनी रोजी चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई के बाद बच्चों की शादी भी करते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो 40 या 45 साल की उम्र से ऊपर पहुंच गए हैं क्योंकि नौकरी लेट लगी और आज उनको पॉलिसी के कारण ओ0पी0एस0 नहीं मिल रही है। इसके कारण उनकी जिंदगी मंझधार में लटक गई क्योंकि जब वे लगे तो उनकी उम्र ज्यादा थी। इनमें कई लेडीज विडो भी थीं, उन्हें जरूरत थी और उनको नौकरी मिली तथा उनकी रोजी-रोटी चली। लेकिन आज ओ0पी0एस0 के लिए नियमित दस साल की नौकरी चाहिए और वे उम्र के कारण उसमें नहीं आ पाएंगे।

दूसरा भाग और भी कष्टदायक है और वह यह है कि 5,500 रुपये में जो लोग अपनी जिंदगी का गुजारा कर रहे हैं और जो लोग सड़कों पर काम करते हैं, पंप चलाते हैं ताकि हमें पानी मिले उसके लिए फिटर का काम करते हैं । इसके लिए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं जिनमें सांप ने काट दिया क्योंकि ग्राउंड जीरो पर काम करना पड़ता है।

एन0एस0 द्वारा जारी ....

05-12-2025/1500/NS-DC/1

श्री आर0एस0बाली -----जारी

और ग्राउंड जीरो के ऊपर कुछ ऐसी चीजें हुईं कि सांप ने काटा या ऊपर से मलबा आ गया और लोगों की जान चली गई। जिला मण्डी के सिराज में इतनी बड़ी दिक्कत आई और इतना बड़ा कहर आया कि सारा मलबा जे0सी0बी0 के ऊपर आ गया तथा जे0सी0बी0 के नीचे एम0टी0डब्ल्यू0 वर्कर की जान चली गई। उसकी सैलरी मात्र 5000 रुपये थी। इनके लिए बड़ी संवेदनशीलता से सोचना पड़ेगा क्योंकि यह समाज का वह तबका है जो अभावग्रस्त है। इनकी जरूरतें बाकी लोगों से ज्यादा है। इनके पास तनख्वाह भी कम है और उस तनख्वाह के अंदर पेट भरना और जिंदगी चलाना बहुत मुश्किल है। अगर जिंदगी खो जाए तो आगे बच्चों का क्या होगा, उसके बारे में सोचना अत्यंत आवश्यक है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ बिंदू रखना चाहूंगा ताकि इनकी बात समझ आ जाए। मैं माननीय उप-मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे तत्काल से इसके बारे में सोचें और कुछ करें क्योंकि इनके पास ही इस विभाग का कार्यभार है। कई बार ऐसा होता है कि आमजन से जुड़ी हुई भावनाएं और बातें सत्ता पक्ष वाले भी बोलते हैं और विपक्ष वाले भी बोलते हैं। अध्यक्ष महोदय, यह आमजन, गरीब व जरूरतमंद की बात है। उनका जीवन, उनकी सुरक्षा और उनके सम्मान की बात है। हमारी इस सरकार में 3274 नौकरियां पहले लगीं और 1726 नौकरियां बाद में लगीं। इनकी सैलरी से मैंने आपको पहले ही अवगत करवाया है कि इनको 6600 रुपये और 5500 रुपये सैलरी मिलती है। अध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण विभाग में एम0टी0डब्ल्यू0 के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनी है। इसलिए इसके बारे में मुख्य मंत्री जी, लोक निर्माण मंत्री जी और कैबिनेट को सोचना पड़ेगा कि एम0टी0डब्ल्यू0 के लिए कोई पॉलिसी बनाएं क्योंकि वे बिल्कुल ही लटके हुए हैं। जहां तक एम0पी0डब्ल्यू0 की बात है तो उनके लिए पॉलिसी 8 वर्ष की है। मैंने आपको पहले भी बताया कि कई लोग उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि उनको पेंशन भी नहीं मिलेगी। उनके लिए पॉलिसी में क्या रिलेक्सेशन हो सकती है, क्या उसको थोड़ा कम किया जा सकता है?

अध्यक्ष महोदय, दूसरा, इनकी बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि जब ये अटेंडेंस लगाते हैं तो इनकी तनख्वाह घंटो के हिसाब से है। इनको कहा जाता है कि आपकी 5

05-12-2025/1500/NS-DC/2

या 6 घंटे की नौकरी है। आई0पी0एच0 वर्कर की नौकरी प्रातः 9 बजे से सायं 5.00 बजे तक है जिसके बारे में इनका रोज का अटेंडेंस चार्ट बना हुआ है। यह इस सरकार की बात नहीं है बल्कि पिछली सरकारों के समय से ही दिक्कत है। इस बार भी वे इसी दिक्कत से गुजर रहे हैं। किसी न किसी को कभी न कभी इनके बारे में सोचना पड़ेगा। आज इनकी दिक्कत यह है कि इनकी सैलरी अटेंडेंस बेस्ड है घंटो के हिसाब से नहीं है। अगर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी इसके बारे में निर्णय लें और घंटो के हिसाब से इनकी अटेंडेंस लगाएं चाहे जल शक्ति विभाग के एम0पी0डब्ल्यू0, पैरा फिटर्ज और पैरा पम्प ऑपरेटर्ज हैं या लोक निर्माण विभाग के मल्टी टास्क वर्कर्ज हैं तो इनको बहुत बड़ी रिलेक्सेशन मिलेगी। इनकी सैलरी बढ़ जाएगी जो आज का सैलरी का मापदंड है, जो मिनीमम वेजिज हैं उसके हिसाब से इनका गुजारा होना शुरू हो जाएगा। इनकी अटेंडेंस को जब मर्जी मेप किया जा सकता है। ये सुबह 9.00 बजे से लेकर सायं 5.00 बजे तक नौकरी करते हैं। लोक निर्माण विभाग के एम0टी0डब्ल्यू0 12 घंटे से 14 घंटे तक नौकरी करते हैं। ये वे लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर आर्मी की तरह काम करते हैं। जब सड़कों में तारकोल बिछाना है तो ये वहां भी काम करते हैं, घास काटना है तो वहां भी लोक निर्माण विभाग के एम0टी0डब्ल्यू0 काम करते हैं। जल शक्ति विभाग वाले भी ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं जिसके कारण लोगों को पानी मिल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि hourly basis के ऊपर काम बहुत जरूरी है। मेरी एक गुजारिश इन लोगों के जीवन से जुड़ी है।

आर0के0एस0 द्वारा -----जारी

05.12.2025/1505/RKS/HK-1

श्री आर0एस0बाली0... जारी

सर, जीवन चाहे किसी बड़े आदमी को हो, आम आदमी का हो या उस दीन आदमी को जिसे रोजमर्रा की चीजों के लिए हर रोज लड़ना पड़ता है, वह एक बराबर है क्योंकि वह जीवन है। जब ये लोग ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हाते हैं तो कई बार इनकी जे0सी0बी0 के नीचे आकर जान चली जाती है या कोई पाइप का काम करते वक्त कट जाता है। अध्यक्ष महोदय, आप इस मामले में बड़े संवेदनशील हैं। यहां पर बैठे सब लोग संवेदनशील हैं। उप-मुख्य मंत्री जी भी संवेदनशील हैं। जब मैं जे0सी0बी0 के ड्राइवर के बारे में माननीय मुख्य मंत्री से बात करने गया था तो उन्होंने कहा था कि हम कोई प्रावधान करके इन्हें पैसा दिला देंगे और जब एक को पैसा मिलेगा तो उसी हिसाब से सबको पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। मेरी सरकार और उप-मुख्य मंत्री जी से गुजारिश है कि इनकी इंश्योरेंस का कोई प्रावधान किया जाए। यह सबसे ज्यादा जरूरी है। आदमी को यह लगना चाहिए कि अगर मैं 4500, 5500 में नौकरी कर रहा हूं, अगर मैं अपनी जिंदगी दे रहा हूं, अगर मैं इस लोकतांत्रिक समाज का सबसे अभावग्रस्त या जरूरतमंद व्यक्ति हूं तो जैसा सरकार हमेशा भाषणों में कहती है कि हम आपके माता-पिता की तरह ख्याल रखेंगे, उसके लिए इन्हें इंश्योर करने की आवश्यकता है। जिन लोगों को दिक्कत हुई है उनके बारे में सोचने की आवश्यकता है। मुख्य मंत्री इस संवेदनशीलता के बारे में सोचते हुए इंश्योरेंस देने का निर्णय लें तो इन्हें लगेगा कि सरकार ने कहीं-न-कहीं इन लोगों के बारे में सोचा है। अगर इनकी अवरली सैलरी का प्रावधान हो जाए या इनके लिए कोई पोलिसी फ्रेम की जाए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि पी0डब्ल्यू0डी0 में तो एम0टी0डब्ल्यू0 की कोई पोलिसी ही नहीं बनी है इसलिए इस पोलिसी को बनाने की आवश्यकता है। जो पोलिसी जल शक्ति विभाग द्वारा बनाई गई है अगर उसमें थोड़ी-सी छूट दे दी जाए तो इनको ओ0पी0एस0 का भी बेनिफिट मिल जाएगा। मैंने संक्षिप्त में अपनी सारी बात रखी है। मैं चाहूंगा कि सरकार अभी अपना उदार दिल दिखाकर इस पर संवेदनशीलता से सोचते हुए इन्हें कोई-न-कोई आश्वासन दें ताकि जल शक्ति विभाग और पी0डब्ल्यू0डी0 के जो वर्कर्ज हैं उन्हें यह लगे कि सरकार उनके बारे में कुछ सोच रही है। धन्यवाद।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री महोदय।

05.12.2025/1505/RKS/HK-2

उप मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम-62 के तहत माननीय सदस्य आर0एस0बाली0 जी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए हैं। हर सरकार के समय निरंतर भर्तियां होती रहती हैं। चाहे हमारी सरकार हो या पूर्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, जब पब्लिक सर्विस कमीशन या सर्विस सिलैक्शन बोर्ड के तहत भर्ती नहीं करनी हो और लोगों को कम तनख्वाह पर अंगेज करना हो तो उस समय यह भर्तियां होती हैं। हम कई प्रकार से भर्तियां करते हैं। एक तो आउटसोर्स आधार पर ठेकेदारों द्वारा भर्ती की जाती है लेकिन उनको भी बार-बार सरकारी सैक्टर में लाने की मांग की जाती है। एक यह भर्ती है जिसकी बात श्री आर0एस0बाली जी कर रहे हैं। इन्होंने इस स्कीम को लेकर कुछ बातें की हैं। विभाग में दो तरह की भर्तियां होती हैं। एक पैरा पोलिसी है जिसमें पैरा-ऑप्रेटर्ज, पैरा फिटर, पैरा पम्प ऑप्रेटर्ज, पैरा मल्टी टास्क वर्कर्ज रखे जाते हैं। दूसरी जल रक्षकों की भर्ती है।

श्री बी0एस0द्वारा जारी

05.12.2025/1510/बी.एस./एच. के.-1

उप-मुख्य मंत्री जारी...

और आप तो पुराने लेजिसलेच्योर हैं, आप जानते हैं की 2700-2800 रुपये में जल रक्षक भर्ती हुआ और उनकी जो पॉलिसी बनेगी 12 साल के बाद उनको मुख्य धारा में लेकर आएंगे। हालांकि मैं समझता हूं, मानवता के नाते भी कि 12 साल एक बहुत लंबा पीरियड है इसलिए इनके मानदेय को थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ाया फिर 5500 तक पहुंचाया और फिर 6000 तक पहुंचा। जल रक्षक की लगभग 6220 भर्तियां हमारे विभाग में हुई हैं। उनमें से 12 साल जो पूरे कर चुके हैं वे 3,486 थे और मौजूदा सरकार ने कांग्रेस की सरकार ने उनको पंप अटेंडेंट बना दिया। यानी कि वे तो रेगुलर नौकरी की भर्ती की राह पर पड़ गए। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे हैं जिनके 12 साल नहीं हुए हैं या 12 साल होने वाले हैं, लेकिन विभाग के पास पोस्टें नहीं हैं, एक तो यह मसला है।

दूसरा, जो पैरा पंप ऑपरेटर्स का है ये एक नीति के तहत बने हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी 2020 में पॉलिसी बनी इसके बारे में मंथन हुआ लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला और ये पैरा पंप ऑपरेटर 5500 रुपये लेते हैं, अब हमारी सरकार ने इसको बढ़कर 6600 रुपये कर दिया है। पैराफीटर जो हैं उनका 5500 रुपये था उसको भी अपने 6600 रुपये कर दिया। पैरा मल्टीपरपज वर्कर का 3900 रुपये था उसको हमने पढ़कर 5500 रुपये कर दिया है। यह सही है कि जैसे माननीय सदस्य ने कहा कि ये घंटों के आधार पर काम करने की नीति है लेकिन यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि ये सारा दिन काम करते हैं उनका फुल डे ही काम है, कहने को है कि इन्हें 4 घंटे के लिए अंगेज किये है, 6 घंटे के लिए अंगेज किये हैं। यह रेगुलर कर्मचारी से पहले आते हैं उनके बाद ही घर जाते हैं। पैरा पंप ऑपरेटर में यह है कि उसमें यह 15 प्रतिशत कोटा प्रमोशन के लिए रखा गया है कि 8 साल के बाद उनका पैरा हटाकर पंप ऑपरेटर बनाने के लिए फिर उसके बाद उनको जॉब ट्रेनी बनना पड़ेगा जो आज की पॉलिसी है। पहले कांटेक्ट में आना

05.12.2025/1510/बी.एस./एच. के.-2

पड़ता था या डेलीवेज में आना था और पैरा फीटर का भी पैरा हटाने के लिए 10 प्रतिशत के कोटे की बात है और पैरा मल्टीपरपज की तो कोई नीति ही नही है। उसमें न तो कोई कोटा है। हालांकि हमने प्रपोजल भेज रखी है कि 10 प्रतिशत बेलदार में से इनको लिया जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय, विभाग की अपनी राय है, अभी वह सरकार में डिसक्शन होनी है और टोटेल्टी पर सरकार भी अपनी तरफ से सोच रही है कि हमने क्या करना है? हम तो यह चाहते हैं कि 8 साल से ज्यादा कोई भी सर्विस है उनको पैरा में ना रखा जाए जल रक्षक में ना रखा जाए अगर 8 साल की सर्विस हो जाए तो 8 साल के बाद हम उसको डेली वेजर बना दें।

श्री दिवेश ठाकुर द्वारा जारी.....

5.12.2025/1515/डी0टी0/वाई0के0-1

उप-मुख्य मंत्री जारी....

यही हम जल रक्षको के लिए भी चाह रहे है, हालांकि अब नई भर्ती तो जल रक्षकों की नहीं हो रही है, लेकिन जो लोग पहले से ही जल रक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं उनको भी रेगुलर करने के लिए हमारी विभागीय राय यही है कि उनको भी आठ साल की सेवा के उपरांत किसी ढंग से पम्प आप्रेटर बना दिया जाए। जैसे कि हमने 12 साल पूरा करने के बाद 3486 जल रक्षकों को पम्प आप्रेटर बनाया है। आठ साल की पॉलिसी में हम कोशिश करेगे की इसमें जल रक्षक, पम्प आप्रेटर, फिटर और मल्टीपरपस वकर्ज भी दैनकि भोगी बने और आठ साल में ही जल रक्षक भी पम्प आप्रेटर बनें। हम यह प्रपोजल लेकर सरकार के पास गये हैं। इसमें वित्त विभाग का सुझाव है कि हम सभी विभागों में इस प्रकार के पदों पर लगे लोगों को टोटैलिटी में एक ही पॉलिसी के अंदर लाना चाहते हैं हम नहीं चाहते की पी0डब्ल्यू0डी0 अलग जाए, जल शक्ति विभाग अलग जाए और अन्य डिपार्टमेंट अलग जाए। हम सारी भर्तियों के लिए applicable to all policy बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत नहीं हूं मैं इन्हें कोई इंश्योरंस दे दो या इनको मिनिमम वेज दे दो, यह तो लस्सी में मधाणी डालने की बात है। इसमें वे और चक्कर में फंसते जाएंगे। हम चाहते हैं कि प्रदेश में कांकरेंट पॉलिसी आ जाए कि जो भर्तियां अब तक हो चुकी हैं उनको हम 8 साल पर डेली वेजर्स बना दें। अगर वे डेली वेजर्स में आ गए तो वे गवर्नमेंट सर्विस में इंडक्ट हो जाएंगे और उनकी सैलरी भी ठीक हो जाएगी। फिर सरकार को देखना है कि जो सरकार ने कॉंट्रैक्ट पोलिसी के स्थान पर जो नई पोलिसी लाई है उसमें दो साल में पक्का करना है या एक साल में। भर्ती के समय सब कहते हैं कि हमें 2 हजार, तीन हजार या पांच हजार रुपये में रख दीजिए लेकिन जब रखे जाते हैं तो यह कहते हैं कि 5 हजार रुपये में क्या बनेगा और हमारा शोषण हो रहा है। यह ठीक है कि नौकरियों की कमी है और इसके लिए बड़ी भारी प्रतिस्पर्धा है। इसलिए जैसा भी नौकरी किसी को सरकारी क्षेत्र में मिली है उस व्यक्ति को किस प्रकार सूटब्ली अडस्ट कर सकते हैं उसके लिए हमारा वित्त विभाग मंथन कर रहा है कि जो भी यह कम वेतन यानी 5000 या

6000 प्रतिमाह वेतन वाली नौकरियां हैं, इनको हम किस तरह से नियमित कर सकते हैं। इसके लिए विभाग द्वारा अपना पक्ष रखा जा रहा है। विभाग का

5.12.2025/1515/डी0टी0/वाई0के0 -2

पक्ष यही है कि कोटा परसेंटेज से भी कुछ नहीं बनेगा उससे भी यह रेगुलर नहीं होंगे, विभाग के पास अगर पद नहीं होंगे तो बोलेंगे कि विभाग के पास पद नहीं है इसलिए अभी आप किसी को रेगुलर नहीं कर सकते इस तरह से ऐसे लोगों को 12 से 14 साल हो जाएंगे। इसलिए विभाग की प्रपोजल यही है विभाग का पक्ष यही है कि आठ साल पूरा करने पर जल रक्षकों को दैनिक भोगी बना दो उसके बाद इनकी नियमतिकरण का रास्ता हम तलाश करेंगे। सरकार के स्तर पर भी विभाग के इस पक्ष पर चर्चा हो रही अन्य विभागों में भी इस प्रकार के जो पद है उनके बारे में भी चर्चा हो रही है। जैसे ही इसका हल निकलेगा उसका फायदा उनको होगा। मैं माननीय सदस्य श्री आर0एस0बाली जी का आभारी हूं जिन्होंने इस मानवता के पहलु को उजागर करते हुए यह बात इस सदन में रखा। इस संबंध में आप रोजाना समाचार पत्रों में भी पढ़ रहे हैं। रोजाना फेसबुक में भी कमेंटस आ रहे हैं कि इनके लिए पॉलिसी बनाई जाए। पॉलिसी तो बनी हुइ हैं और इन्हीं पॉलिसी के तहत सरकारों ने यह पद भी भरे हुए हैं। लेकिन मानवता के आधार पर इनको कितना वेतन मिलना चाहिए वो मसला हम आगे ले जा रहे हैं और मुझे लगता है कि मौजुदा सरकार और हमारे नेता अपनी राजनीतिक क्षमता से इस मसले का निर्णायक हल जरूर निकाल लेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माानननीय श्री आर0एस0 बाली जी what do you want to add?

श्री आर0एस0बाली श्री एन0जी0 द्वारा जारी...

05.12.2025/1520/वाई.के.-एन.जी./1

अध्यक्ष के पश्चात..........जारी

श्री आर0एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप-मुख्य मंत्री ने यहां पर जिस प्रकार से बोला है उसके माध्यम से इन्होंने काफी चीज़ों पर बड़ी संवेदनशीलता से अपनी बात रखी है। इन्होंने पॉलिसी के संदर्भ में काफी चीज़ों को क्लियर किया है। मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूं क्योंकि आज प्रदेश के हज़ारों कर्मचारियों को काफी क्लियरिटी मिली होगी। मैंने जहां पर इंश्योरेंस की बात की थी, वह एक बड़ी संवेदनशील और अभावग्रस्त लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बात थी। माननीय उप-मुख्य मंत्री का मैं आदर करता हूं। इन्होंने सभी बातों में अपनी संवेदना दिखाई है और सारी बात को बड़ी संवेदनशीलता से समझा भी है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि जो लोग ग्राऊंड जीरो पर अपना काम कर रहे हैं और यदि उनकी जान चली जाती है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता था लेकिन अब मैं मजबूर हूं कि उनके नाम लूं। बैजनाथ का एक शगुन नाम का लड़का जोकि अनाथ है और उसके माता-पिता नहीं हैं, उसको सांप ने काट लिया। वह कांगड़ा जिला का रहना वाला है और मैं भी इसी जिला से संबंध रखता हूं। यह बच्चा माननीय उप-मुख्य मंत्री के विभाग में नौकरी करता है और काम के समय उसको सांप काट लेता है। उसके बाद वह कई महिनों मेडिसन व उपचार के लिए अस्पताल में एडमिट रहता है। वह नौकरी करने की एवज में 5500/- रुपये प्रतिमाह मानदेय लेता है और अपना उपचार भी उन्हीं पैसों से करवाता है। उसके ऊपर कई लाखों रुपयों का कर्जा चढ़ चुका है। उसके माता-पिता नहीं हैं और उसे सरकार ने नौकरी दी है तथा इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवादी हूं। मेरा आग्रह है कि आने वाले समय में भी सरकार उसे मझधार में न छोड़े।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका कंसर्न आ गया है।

श्री आर0एस0 बाली : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक मिनट की बात करना चाहता हूं। मैं उप-मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि यदि उनके इंश्योरेंस की बात नहीं करनी है तो ऐसे लोगों की सुध लेना बहुत जरूरी है।

05.12.2025/1520/वाई.के.-एन.जी./2

सरकार को पता होना चाहिए कि ऐसे कौन-कौन लोग हैं जिनकी जान चली गई? ऐसे कौन लोग हैं जिनको सांप ने काट लिया है? किसके ऊपर जे0सी0बी0 का मलबा आ गया और वह मर गया? इसके बारे में सोचना विभाग का काम है और सरकार भी इसीलिए होती है। मुझे लगता है कि ऐसे परिवारों के लिए संवेदनशीलता से काम लेते हुए आप अपने विभाग के चीफ इंजिनियर व अन्य अधिकारियों को बोल कर ऐसे कर्मचारियों की एक सूची बनवाएं और उन्हें वन टाइम कुछ पैसे मुहैया करवाए जाएं, नहीं तो वे किस से फरियाद करेंगे और कहां पर जाएंगे? धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय उप-मुख्य मंत्री, आप बोलिए।

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पैरा पॉलिसी व जल रक्षकों का जो इश्यू है, इनके बारे में मैंने बड़ा स्पष्ट करके बताया है कि हम इसके स्थाई समाधान की तरफ चल रहे हैं कि वे किसी तरह से सरकारी कर्मचारी बन कर प्रोपर सैलरी पर आ जाएं। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनकी इंश्योरेंस कर दो। यदि ऐसा करते हैं तो प्रदेश सरकार का हर कर्मचारी कहेगा कि हमारी भी इंश्योरेंस करो। जब हम इन्हें सरकारी नौकरी में पूरी तरह लाने के लिए काम कर रहे हैं तो मैं नहीं समझता की इसमें इंश्योरेंस की कोई जरूरत होगी। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है। Exceptions are always there. इन्होंने कहा कि किसी की मृत्यु हो गई।

Speaker : That is an important point.

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, ऐसे में एक्स0ई0एन0 के माध्यम से माननीय सदस्य केस बना कर मुख्य मंत्री जी को प्रेषित कर दें और उसे कैबिनेट में लगा देंगे ताकि उसका समाधान निकाला जा सके।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, इसमें एक इश्यू और है कि जो एक्सिडेंटल डैथ में सरकार राहत देती है, मेरे ख्याल से उसमें ये केस भी कवर किए जाते होंगे। The person one who died while in service as a multitask worker, he will covered under

05.12.2025/1520/वाई.के.-एन.जी./3

accidental death. If they are not covered, उसमें सरकार ला सकती है। Thank you very much.

05.12.2025/1520/वाई.के.-एन.जी./4

नियम-61 के अन्तर्गत आधे घण्टे की चर्चा

अब नियम-61 के अंतर्गत विषय लिए जाएंगे। आज की कार्यसूची में नियम-61 के दो विषय लगे हुए हैं। मैं माननीय सदस्य श्री सुख राम चौधरी से आग्रह करूंगा कि दिनांक 27 नवम्बर, 2025 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या : 3535 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर आपने चर्चा मांगी है और मैंने उसे अनुमति प्रदान की है, उस पर आपना विषय व वक्तव्य रखें।

श्री सुख राम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैं दिनांक 27 नवम्बर, 2025 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या : 3535 के उत्तर से उत्पन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए खड़ा हुआ हूं और आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न दिनांक 27 नवम्बर, 2025 को लगा था।

श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

05.12.2025/1525/ए0जी0-पी0बी0/1

श्री सुख राम चौधरी...जारी

इसके "(क)" भाग में विभाग ने जवाब दिया है कि दिनांक 01.07.2025 से 31.10.2025 तक पांवटा साहिब विधान सभा क्षेत्र में प्राकृतिक आपदा/भारी बरसात के कारण 16 सिंचाई योजना तथा 78 पेयजल योजनाओं को नुकसान हुआ। वर्तमान में प्रभावित 16 सिंचाई योजनाओं में से जल शक्ति मण्डल पांवटा साहिब के अधीन उप-मण्डल पुरुवाला की चार सिंचाई योजनाएं बंद पड़ी हैं। उत्तर के भाग-ख में चार बंद योजनाओं में से तीन योजनाओं की अस्थाई बहाली हेतु कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा परंतु एक उठाऊ सिंचाई योजना बगरान गत बरसात में पूर्णतः बह गई थी तथा इसकी बहाली के लिए 1 करोड़ रुपये की आवश्यकता है। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सभी 78 पेयजल योजनाओं को अस्थायी रूप से चलाने का कार्य प्रगति पर है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि उठाऊ पेयजल योजना बगरान में गांव फूलपुर, शमशेरपुर, बागरन, शिप्पर और हरिपुरवाना की पांच हजार बीघा ज़मीन की सिंचाई होती थी। पहले भी यह ज़मीन वर्ष 1978 में बह गई थी। जब प्रो0 प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार बनी तो यह सिंचाई योजना 20 वर्षों बाद शुरू की गई। अब यह योजना बह गई है और आजकल बंद पड़ी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस योजना को जल्द-से-जल्द चलाने के लिए पर्याप्त धन दिया जाए।

दूसरी बात यह है कि जिस इलाके में यह सिंचाई योजना थी वहां 1.5 किलोमीटर के एरिया में बाढ़ के कारण कम-से-कम 50-50 फुट की ढांक बन गई है। बगरान से लेकर गिरी पुल तक इस बार 35 घर प्रभावित हुए हैं जिसमें से 2-3 घर बह गए हैं और बाकियों में दरारें आ गई हैं। इसी तरह से लोक निर्माण विभाग की एक सड़क बह गई है। यदि समय रहते इसका चैनलाइजेशन नहीं किया गया तो इस 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में जितने भी घर उस नदी के किनारे स्थित हैं, क्योंकि वे घर नदी से 50 फुट ऊपर हैं, ये सारे घर नदी के नीचे आ जाएंगे। वह भूमि उपजाऊ और रेतीली है। जब मैं मौके पर गया था तो मैंने लोगों को कहा कि हम 40 लाख रुपये क्षेत्रीय विकास विधायक निधि से देंगे और इसका 2 से 2.5

करोड़ रुपये का एस्टिमेट है।...(व्यवधान) मैंने तभी देने की बात की है। इसमें 2 से 2.5 करोड़ रुपये की बात की है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि इसके लिए समय रहते पैसा जारी किया जाए। इसके टेंडर समय पर लगाए जाएं जिससे बरसात आने से पहले नदी का चैनलाइजेशन कर दिया जाए ताकि

05.12.2025/1525/ए0जी0-पी0बी0/2

अगली बरसात में लोगों के घर क्षतिग्रस्त न हों। मैं आपसे यही आश्वासन चाहता हूं, धन्यवाद।

अध्यक्ष : उप-मुख्य मंत्री जी, क्या आप इस पर कुछ स्पष्टीकरण देना चाहते हैं?

उप-मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक संवेदनशील मसला सदन में उठाया है क्योंकि यह मानवता से जुड़ा हुआ है। **इन्होंने जो सुझाव दिया है this is a suggestion for action. इन्होंने कहा है कि मार्च माह से पहले नदी का चैनलाजेश्न करवा दें। इसमें जो भी राशि खर्च होगी चाहे वह डिजास्टर से हो, फाइनेंस से लेनी हो, विभाग ने देनी हो या जहां से भी देनी हो, हम आपका यह कार्य करवा देंगे।** आपने सदन में यह मसला उठाया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : अब माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी नियम-61 के अंतर्गत अपना विषय इस माननीय सदन में रखेंगे जो तारांकित प्रश्न संख्याः 3728 से मुतलिक है और उप-मुख्य मंत्री जी इसका जवाब देंगे।

श्री रणधीर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से दिनांक 03 दिसम्बर, 2025 को उत्तरित तारांकित प्रश्न संख्या 3728 से उत्पन्न विषयों पर चर्चा उठा रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न बघाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटिड सोलन के विषय में है। मैंने प्रश्न में पूछा था कि क्या इस बैंक पर आर0बी0आई0 ने प्रतिबंध लगाया है कि जमाकर्ता 10,000 से ज्यादा धनराशि नहीं निकाल सकत? जिसके जवाब में सरकार ने कहा कि यह सत्य है कि दिनांक 08 अक्तूबर, 2025 को प्रतिबंध लगाया गया है। मैंने यह भी पूछा

था कि इस प्रतिकूल परिस्थिति से निकलने तथा जमाकर्ता एवं शेयरधारकों को राहत प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या पग उठाए गए?

श्री ए0पी0 द्वारा जारी....

5.12.2024/1530/ए.जी./ए.पी./01

श्री रणधीर शर्मा जारी .....

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने भी माना है कि एन0पी0ए0 बढ़ जाने के कारण आर0बी0आई0 द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि आर0बी0आई0 को बैंक पर यह कहकर प्रतिबंध लगाना पड़ा कि जमाकर्ता 10,000 रुपये से अधिक की निकासी नहीं कर सकते। यह बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसकी शाखाएं सोलन, शिमला, ऊना, कांगड़ा आदि जिलों में हैं। इस बैंक को वर्ष 1970 में 11,000 शेयरधारकों द्वारा 22 करोड़ रुपये की पूंजी इकठ्ठा करके शुरू किया गया था। वर्ष 2018 तक शेयरधारकों को नियमित रूप से इंट्रेस्ट मिलता रहा, परन्तु इसके बाद बैंक की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई और एन0पी0ए0 की सीमा पार हो गई। सामान्य परिस्थितियों में बैंक का एन0पी0ए0 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन इस बैंक का एन0पी0ए0 138 करोड़ रुपये तक पहुंच गया। जबकि डिपॉजिट मनी 470 करोड़ रुपये है। एन0पी0ए0 इतना बढ़ जाने के कारण बैंक पर प्रतिबंध लगाए गए। जब मैंने पूछा कि क्या इस पर सरकार का नियंत्रण है? तो बताया गया कि यह बैंक आर0सी0एस0 की निगरानी में काम करता है। इसके जबाव में कहा गया कि एन0पी0ए0 की वसूली पर 4.9 करोड़ रुपये की कार्रवाई की गई है। सहायक पंजिका सहायता द्वारा 2.44 करोड़ रुपये की वसूली हुई है। कुछ संपत्तियों की कुर्की के आदेश दिए गए हैं, कुछ खातों को फ्रीज़ किया गया है और कुछ के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय, अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। 11,000 शेयरधारकों के इंट्रस्ट प्रभावित हो रहे हैं और 80,000 जमाकर्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। 138 करोड़ रुपये के एन0पी0ए0 में से केवल 5 करोड़ रुपये की वसूली बहुत ही

कम है। इसमें न तो गिरफ्तारी हुई है और न ही संपत्तियों की कुर्की हुई है। माना जा रहा है कि बैंक में बड़ा फ्रॉड हुआ है। गलत तरीके से लोन दिए गए। किसी की संपत्ति किसी और के नाम अटैच कर दी गई। कुल मिलाकर बैंक प्रबंधन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर बैंक को इस स्थिति में पहुंचा दिया है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बैंक को इस स्थिति से निकालने के लिए गंभीर है। यदि गंभीर है, तो क्या सरकार एन0पी0ए0 बढ़ने और फ्रॉड पर कार्रवाई

5.12.2024/1530/ए.जी./ए.पी./02

करेगी? इस फ्रॉड की चर्चा प्रेस कॉन्फ्रेंस और जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देकर भी की गई है। क्या सरकार इसकी जांच के लिए विशेष जांच दल (SIT) का गठन करेगी ताकि दोषियों पर सही तरीके से कार्रवाई हो सके। दूसरा, 80,000 जमाकर्ताओं की समस्या के समाधान के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या सरकार इस बैंक को वित्तीय मदद देगी या किसी अन्य तरीके से जमाकर्ताओं को राहत प्रदान करेगी? साथ ही, क्या सरकार प्रशासनिक नियंत्रण लगाने पर विचार कर रही है, क्योंकि वर्तमान प्रबंधन से परिस्थितियां सुधर नहीं रही हैं और एन.पी.ए. की वसूली बढ़ नहीं रही है। अध्यक्ष महोदय, इन सभी बातों पर मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से जबाव चाहता हूं।

अध्यक्ष जारी...

श्री ए0टी0 द्वारा जारी .....

05.12.2025/1535/AT/AS.01

उप-मुख्यमंत्री जारी...

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने भगाट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का एक संवेदनशील मुद्दा उठाया है। हमारे जो कोऑपरेटिव बैंक हैं चाहे वह कांगड़ा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक हो, चाहे भगाट हो या चाहे जोगिंद्रा बैंक हो ये सभी सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं। मूल रूप से ये सोसाइटी थीं, लेकिन बाद में पूंजी बढ़ने पर ये बैंक के रूप में बदल गईं। जहां तक माननीय सदस्य श्री रणधीर शर्मा जी ने बात रखी है, उसमें मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश के किसी भी व्यक्ति का पैसा डूबने नहीं दिया जाएगा। बैंक की कुल संपत्तियां लगभग 443 करोड़ रुपये की हैं, जबकि शुद्ध दायित्व लगभग 193 करोड़ रुपये के हैं। हमारे पास इतनी संपत्तियां, फिक्स्ड डिपॉजिट और अन्य एसेट्स हैं जोकि लोगों को उनका पैसा देने की स्थिति में हम लोग हैं। लेकिन मैं सभी माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहता हूं कि हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई पैनिक खड़ा कर दिया जाए। वित्तीय संस्थाओं में जितना पैनिक बनेगा, लोग उतना पैसा निकालने का दबाव डालेंगे। इसी कारण रिज़र्व बैंक ने पैसा निकालने की सीमा रखी है और फिलहाल केवल 10,000 रुपये तक निकालने का प्रावधान रखा है। जैसे ही स्थितियां सामान्य होती है, क्योंकि प्रदेश सरकार से भी उन्होंने 50 करोड़ रुपये की मांग की गई है । वो तो मैं नहीं समझता हूं कि प्रदेश सरकार ऐसे बैकों को पैसा देगी। लेकिन हम रिज़र्व बैंक से यह मेटर उटा रहे हैं और बहुत जल्दी ही इन रिस्ट्रिक्शंस को हटाया जाए, ताकि लोगों में स्थिरता आए। उसके लिए हम काम कर रहे हैं। यह मसला हम रिज़र्व बैंक से उठा रहे हैं और हम रिकवरी भी कर रहे हैं। और लगभग 50 करोड़ रुपये तक रिकवरी इसमें अपेक्षित है। पहले भी हमने रिकवरी की है। जहां तक दूसरा विषय है जिन लोगों ने बेईमानी की है एक बार बैंक स्थिर हो जाए, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन पहले हम बैंक में स्थिरता चाहते हैं और लोगों में विश्वास जागृत करना चाहते हैं। जैसे ही वह पहलू हमारा हल हो जाता है और बैंक की रिस्ट्रिक्शंस खुल जाती है उसके बाद जिन लोगों ने कोऑपरेटिव बैंकस में वर्किंग नेशनेलाईज बैंकस की तरह होनी चाहिए। कुछेक लोग इसके अपनी जागीर ही समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक में किसी से भी फोन करवाकर और किसी भी ढंग से लोन ले लिया, यह व्यवस्था भी हमे रोकनी पड़ेगी। मैं सभी माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना

05.12.2025/1535/AT/AS.02

चाहता हूं कि स्थितियां हमारे नियंत्रण में है, हम सब नियंत्रण कर लेंगे। जिस चीज को आप रैफर कर रहे हैं कि जिन लोगों ने लोन डिस्बर्स किए, वापस करने की स्थिति में नहीं हैं, उनको हम अलग तरीके से डील करेंगे। लेकिन 80,000 लोगों का पैसा सुरक्षित रहे, बैंक की पूंजिया सुरक्षित रहें और रिज़र्व बैंक हमारे बैंक में विश्वास कायम कर लें, उसमें पहले हम काम कर रहे हैं।

अध्यक्ष : अब सत्र समापन की तरफ है और माननीय मुख्य मंत्री जी को व्यवस्था के कारण शिमला जाना है ...(व्यवधान) नहीं देखो, कितने सदस्य बोलने के लिए हाथ उठा रहे हैं। माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। विषय सामान्य लग सकता है, लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऊना विधान सभा क्षेत्र के अंदर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में कानून व्यवस्था की समस्या सामने आई है। जिस दिन सत्र प्रारंभ हुआ था, उसके अगले दिन ही मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी से विस्तार से इस विषय पर बात की थी। लेकिन ऊना विधान सभा क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी घटनाएं हुए हैं पिछले दो वर्षों के अंदर जिसका परिणाम 19 नवंबर, 2025 की रात को गैंगवार जैसी स्थिति में सामने आया है। उन घटनाओं में अधिक न जाते हुए,

एम0डी0द्वारा जारी .....

05-12-2025/1540/AS/MD/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती----जारी

मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि ऊना के अंदर दिनांक 27 जुलाई, 2023 को संतोषगढ़ नगर के अंदर पुलिस अधिकारियों ने जब कुछ शरारती तत्वों के ऊपर रेड की तो उनको बंधक बनाया गया था। ऊना से एस0पी0 साहब गए उन्होंने वहां से उनको निकाला लेकिन इस पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई जिसका परिणाम यह रहा कि आज

असामाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ते चले गए। इस विषय के बारे में मैंने पिछले बजट सैशन में भी बोला था और उसके बाद इलीगल माइनिंग के बारे में तो मैं समय-समय पर बोलता रहा हूं। इस पर आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने और हमारे उद्योग मंत्री जी ने भी कई बार बयान दिया कि ऊना की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है क्योंकि उन्होंने भी ऊना में जाकर इलीगल माइनिंग के ऊपर मीटिंग की थी। उसके बाद मैहतपुर में लगभग 6 महीने पहले एक रेड हुई थी जिसमें एक दुकान से पुलिस ने 4.93 लाख रुपए पकड़े थे। यानी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ऊना ने यह रेड की थी जिसका परिणाम यह निकला कि तीसरे दिन उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को ही भंग कर दिया गया। मैं मुख्य मंत्री जी के ध्यान में यह विषय ला रहा हूं। जहां उनको सम्मानित करना चाहिए था वहां उस यूनिट को ही भंग कर दिया गया। यह किसके कहने पर किया यह मुख्य मंत्री जी जानते होंगे। उसमें क्या कमी थी और उसके बाद जो उस एस0आई0 यूनिट के रेड करने वाले मिलिट्री से आए पूर्व सैनिक जो डी0एस0पी0 बने उसको रिकाँगपिओ बदल दिया गया। मैं यह पासिंग रेफरेंस में बता रहा हूं। मेरे पास विस्तार में बोलने को बहुत कुछ है। उसके बाद फिर उसी दुकान के ऊपर रेड होती है तो 5 .47 लाख रुपये फिर 1 अक्टूबर को पकड़ा जाता है। क्योंकि कैसे-कैसे यह घटना बढ़ती गई मैं उसका ब्यौरा दे रहा हूं। उसके बाद जो बसाल के अंदर दिनांक 27 जुलाई, 2025 को एक गोली कांड हुआ उसमें नाई की दुकान के अंदर कटिंग करवाते हुए बाहर से आए हुए लोगों ने एक नौजवान की गोली मार कर हत्या कर दी। अध्यक्ष महोदय, मैहतपुर, जखेड़ा गांव में एक शादी के अंदर नौजवान साथी घायल हो गया। जैसा एक पंजाब के अंदर सिस्टम है उसको ओनर फायरिंग बोलते हैं, उसमें फायरिंग हुई और फायरिंग में एक उन्हीं का व्यक्ति घायल हो गया जिसे बाद में पी0जी0आई ले जाया गया। उसके बाद जब यह आगे बात बढ़ती है तो भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। दो-चार दिन बाद अखबारों में शोर मचा लेकिन बाद में

05-12-2025/1540/AS/MD/2

इस मामले को दबा दिया गया कि कोई गोली नहीं चली। दो-तीन दिन तो मुख्य मंत्री जी मैंने खुद इस विषय पर अधिकारियों से बातचीत की। मैं जानता हूं कि आपको जल्दी जाना है इसलिए मैं भी जल्दी-जल्दी कर रहा हूं नहीं तो यह आधे घंटे की चर्चा है। उसके बाद

अवैध हथियार मैहतपुर-देहला के गांव में सड़क के किनारे मिलते हैं। जो व्यक्ति अवैध हथियारों की सूचना देता है उस व्यक्ति की चार दिनों के बाद किडनैपिंग हो जाती है। उसे पिटाई करके सड़क के किनारे फेंक दिया जाता है। जब इन घटनाओं के ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने 12 नवंबर को डिप्टी कमिश्नर साहब को एक मैमोरंडम दिया। उस मैंमोरेंडम में विस्तार से सारी घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें सख्त कार्रवाई करने के बारे में लिखा है। लेकिन 7 दिन तक जब इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उसका यह परिणाम निकला कि 19 नवंबर को ऊना हेड क्वार्टर के पास एक गैंगवार की घटना हो गई। उस गैंगवार में एक मासूम की जान चली गई। वह लगभग 32 साल का नौजवान साथी था। आज हम उसके परिवारों की परिस्थितियों को देख सकते हैं। इस गैंगवार में तीन व्यक्तियों के ऊपर तलवारों व डंडों से हमला हुआ। कुछ लोग इसे सैल्फ डिफेंस में हमला करने के बारे में कह रहे हैं और कोई बदले की भावना से हमला करने के लिए बोल रहे हैं। आज वे दो व्यक्ति पी0जी0आई0 में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं जिसमें ऐसा कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति कोमा में चला गया और दूसरे की नजर चली गई है। इस तरह वे भी नौजवान साथी हैं। तीसरे व्यक्ति की दोनों बाजूएं टूट गई है, उसको प्लेटस डाली गई है जिसका प्राइवेट हॉस्पिटल पंजाब में इलाज हो रहा है। मेरा संक्षिप्त में यही कहना है कि ऊना के अंदर जो यह गैंगवार होना शुरू हो गया है, जो लॉटरी का अवैध धंधा चल रहा है, जो सट्टे का अवैध धंधा चल रहा है, अवैध माइनिंग चल रही है उसमें समय-समय पर माननीय उप-मुख्य मंत्री जी ने भी बोला है। ऊना में एक फिरोतियों का मामला शुरू हुआ था। इसमें 10 लाख रुपये से मांगना शुरू हुआ था। आज वह फीरोतियों का मामला 5 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अखबारें भरी पड़ी है कि लोगों से पांच-पांच करोड़ रुपये फिरोतियां मांगी जा रही हैं और पता नहीं लग रहा है कि वे लोग कौन है? जब पुलिस अधिकारियों से बातचीत करें तो वह कहते हैं कि आपस में समझौता कर लो। मेरा यह आग्रह रहेगा कि इस तरह की घटना जो ऊना जिले में शुरू हो गई है उसमें कहीं-न- कहीं यह ध्यान में आता है कि इसमें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी---

05/12/2025/1545/केएस/डीसी/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती जारी ---

और जिस होटल के अंदर यह गैंगवार हुआ, वह अवैध धंधों का अड्डा बनता चला जा रहा है और वहां पर समय-समय पर ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। एक स्थानीय राजनेता इन लोगों को संरक्षण दे कर ऐसे अवैध काम करवाने के लिए उकसाता है जिससे ऊना के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे बिगड़ गए हैं। बहुत ज्यादा नौजवान साथी, जिनकों हमें अच्छी दिशा देनी थी, उनको हमने राजनीतिक कारणों से गलत दिशा दे दी। मेरा मुख्य मंत्री जी से आग्रह रहेगा, मेरी इस सम्बन्ध में बातचीत भी हुई है और आपने मुझे आश्वासन भी दिया है कि हम इसके ऊपर सख्ती करेंगे। ऊना के अंदर पुलिस को आप खुला हाथ दे कर, ऑर्डर दे कर अच्छे अधिकारियों की वहां अप्वाइंटमैंट करके अगर कानून व्यवस्था को ठीक करेंगे तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे नौजवान साथियों की इस तरह से ना जान जाएगी और ना ही कोई व्यक्ति ऐसे अवैध धंधों में जाएगा। मेरा यही आग्रह है। अध्यक्ष महोदय, आपका धन्यवाद।

Speaker: Hon'ble Member this House has taken cognizance of this issue. आज शीतकालीन सत्र समाप्ति की ओर है। माननीय सदन के नेता व नेता प्रतिपक्ष बोलना चाहते हैं। Hon'ble Chief Minister we are closing the Session, you want to say something?

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, कांगड़ा में इतिहास का यह सबसे लम्बा सत्र आयोजित किया गया है और सभी को विस्तार से अपनी बातें कहने का मौका मिला है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल को भी अपनी बात रखने का मौका मिला और आपने हमसे ज्यादा समय इनको दिया है। आप जब से अध्यक्ष बने हैं तभी से विपक्ष को बोलने का बहुत ज्यादा समय देते हैं और उनके विचारों को बहुत अधिमान भी देते हैं। मैं तो यही कहूंगा कि यह लोकतंत्र की खूबी भी है। विपक्ष के नेता जब गुस्सा होते हैं तो इनको आप शांत भी करवाते हैं। विपक्ष में आने के बाद इनका स्वभाव बहुत गुस्से वाला हो गया है। हमारा निवेदन हैकि सभी बातों को सुनने के बाद एक तर्क के साथ, आगे जो आपके विडियो की एडिटिंग है, मैं चाहूंगा जैसे कि परमार साहब ने भी बोला है, आप थोड़े समय बाद वह ज़रूर रिलीज़ कीजिए ताकि एक परम्परा बनी रहे। सदन

05/12/2025/1545/केएस/एएस/2

के अंदर जब हम बोलते हैं तो कई बार गुस्से और आवेश में कई शब्द ऐसे बोले जाते हैं जो जनता की अदालत में जाते हैं और उनके तरह-तरह के मीम बनते हैं। यह बात बिल्कुल सही है। मेरी प्रार्थना रहेगी कि जब अगला सत्र आएगा तो उसमें आप इस सम्बन्ध में कोई व्यवस्था ले कर आएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय सदन के सभी सदस्यों, पत्रकार बंधुओं, पुलिस कर्मियों, सभी अधिकारियों और विधान सभा सचिवालय के सभी साथियों का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

05/12/2025/1545/केएस/एएस/3

अध्यक्ष : अब माननीय नेता प्रतिपक्ष चर्चा में भाग लेंगे।

श्री जय राम ठाकुर : अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का हमारा यह शीतकालीन सत्र आज समापन की ओर है और मैं पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय विधायकों का भी धन्यवाद करता हूं कि सभी ने सार्थक चर्चा के माध्यम से जनहित के मुद्दों पर अपनी बात रखी है। सरकार के तो बहुत सारे प्रिविलेजिज़ होते हैं लेकिन विपक्ष के पास इस माननीय सदन में अपनी बात रखने का प्रिविलेज आपके माध्यम से ही सम्भव हो पाता है। आपका उसमें सार्थक सहयोग रहा है जिसके लिए मैं अपने पूरे विधायक दल की ओर से आपका बहुत आभारी हूं। मुझे लगता है कि हमेशा से यह परम्परा रही है कि सदन के अंदर विपक्ष को सुने बिना, विपक्ष को अवसर दिए बिना कोई भी चर्चा सार्थक नहीं हो सकती। उस दृष्टि से अच्छी चर्चा हुई है और नियमों के अनुसार हुई है। वह चाहे पंचायत के चुनाव के संदर्भ में हमने चर्चा की या प्राकृतिक आपदा पर चर्चा की। हमको यह भी मानकर चलना पड़ेगा कि जब चर्चा होती है तो पक्ष और विपक्ष की तल्ख़ी होना लाज़मी भी है। कई अवसर आए जहां तल्खी हुई भी और उसके कारण माहौल थोड़ा गर्म भी हुआ लेकिन जब सदन समाप्त होता है तो उसको यहीं छोड़कर जाना चाहिए, साथ ले कर नहीं जाना चाहिए। हम यहां पर जिन विषयों पर चर्चा करने के बाद आज एक दिशा में आगे बढ़े हैं, मैं उसमें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारी ओर से कभी भी इस प्रकार के विषय नहीं होंगे।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी ---

05.12.2025/1550/av/dc/1

श्री जय राम ठाकुर--------- जारी

ठीक है, अपना पक्ष रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि कई बार गुस्से के माहौल में कुछ शब्दों का इस्तेमाल हो जाता है। आखिरकार मानवीय स्वभाव सबका है इसलिए सभी को अच्छा या बुरा लगता है। इस बात का ख्याल दोनों पक्षों की ओर से रखा जाए तो मुझे लगता है कि वह अच्छा रहेगा।

मैं एक बार फिर से पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं क्योंकि सभी ने बड़ी संजीदगी के साथ जनहित के मुद्दों पर अपनी-अपनी बात रखी है। सत्ता पक्ष द्वारा जवाब दिए गए परंतु कुछ जगह सूचना छिपाने की कोशिश भी की गई। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि अभी जिनके हमें संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हो पाए हैं, वे हमें आने वाले समय में मिलेंगे। हमारे पास यही एक मंच है जहां पर हम अपनी व अपने प्रदेश की जनता की जिज्ञासा के संदर्भ सूचना प्राप्त कर सकते हैं।

मैं विधान सभा सचिवालय के सभी कर्मचारियों व अधिकारियों सहित अपनी सरकार के सभी प्रशासनिक अधिकारियों का भी धन्यवाद करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका विशेष तौर से धन्यवाद करता हूं कि आपने बहुत संतुलित ढंग से इस माननीय सदन का संचालन किया है। इस बार विधान सभा के उपाध्यक्ष महोदय तो काँग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बन गए हैं और शायद अब सत्ता पक्ष की तरफ बैठेंगे। इसलिए इस बार हमने वह कमी भी महसूस की है।

मैं अपने पत्रकार बंधुओं का भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने सदन की कार्यवाही को प्रदेश की जनता तक पहुंचाया है। मेरा मीडिया के प्रति पूरा सम्मान है और हम तो यहां पर बोलकर अपनी भड़ास निकालते हैं। लेकिन कई बार मीडिया के माध्यम से कुछ विधायकों के ऊपर कुछ चीजों को लेकर टिप्पणियां हुई हैं जोकि उचित नहीं लगती। मैं इस बात को बार-बार कह रहा हूं कि मैं मीडिया का सम्मान करता हूं। हमसे उम्मीद की जाती

है कि हम तथ्यों पर बोलें लेकिन हमारी मीडिया से भी यही अपेक्षा है कि वे भी केवल तथ्यों पर ही रिपोर्टिंग करें और यह बहुत जरूरी है। हमारी भड़ास तो यहीं खत्म हो जाती है परंतु मीडिया वाले तो किसी को लक्ष्य बनाकर बाहर जाकर भड़ास निकालते हैं। मैंने मीडिया में कई बार इस प्रकार से टिप्पणियां करते हुए

05.12.2025/1550/av/dc/2

देखा है। सबका परिवार होता है और सभी अपने-अपने परिवार में रहते हैं। लेकिन जब टिप्पणियां की जाती हैं तो इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाता और इस प्रकार के विषय सभी सदस्यों के लिए बड़े पीड़ादायक रहते हैं। ये चीजें उचित नहीं होती। अब मीडिया वाले इस बात को अच्छा मानें या बुरा मानें। लेकिन जब हमसे अपेक्षा रखी जाती है कि हम केवल तथ्यों पर बोलें तो हम मीडिया वालों से भी यही उम्मीद करते हैं कि वे भी ठीक बात करें।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक बार फिर से विधान सभा सचिवालय और आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने विपक्ष को संरक्षण दिया और विपक्ष के सदस्यों को नियम के अनुसार चर्चा करने के लिए समय उपलब्ध करवाया। ठीक है, आपसे लड़ने का हमारा अधिकार है। सामने वाले तो लड़ते ही हैं, ये अंदर भी लड़ते हैं और बाहर भी लड़ते हैं परंतु आपके साथ लड़ने की जगह हमारे पास केवल यही है।

अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। अब नया वर्ष आएगा तो नये वर्ष के उपलक्ष्य पर मैं आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।

अध्यक्ष टी सी द्वारा जारी

05.12.2025/1555/टी0सी0वी0/एच0के0/-1

अध्यक्ष : इस सत्र के दौरान सदन में कुल आठ बैठकें दिनांक 26 नवंबर, 2025 से 5 दिसंबर, 2025 तक आयोजित हुईं। सदन की कार्यवाही 34 घंटे चली और जिसमें सत्ता पक्ष को 16 घंटे 30 मिनट अर्थात साढ़े 16 घंटे तथा प्रतिपक्ष को साढ़े 15 घंटे सार्थक चर्चा के लिए मिले। सदन की उत्पादकता 85 प्रतिशत रही। धर्मशाला, तपोवन विधान सभा का

शीतकालीन सत्र इस दृष्टि से भी ऐतिहासिक रहा कि वर्ष 2016 के पश्चात लगभग आठ वर्ष बाद 35 बैठकों की जो आवश्यक व्यवस्था है, उसे भी पूरा किया गया।

सत्र के प्रथम दिन संविधान दिवस के उपलक्ष्य पर सदन के समस्त सदस्यों द्वारा भारत के संविधान के 'उद्देशिका' अर्थात "Preamble" का प्रतिज्ञान लिया गया और सदन से पूर्व सदस्य डॉ0 बाबू राम गौतम जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई तथा उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की गई। सत्र में जनहित के महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हुई और सुझाव दिए गए जिनके दूरगामी परिणाम होंगे।

इस सत्र के दौरान कुल 376 तारांकित तथा 118 अतारांकित प्रश्नों की सूचनाओं पर सरकार द्वारा उत्तर उपलब्ध कराए गए। सत्र में नियम- 61 के अंतर्गत दो विषय और नियम- 62 के अंतर्गत दस विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा माननीय सदस्यों द्वारा बहुमूल्य सुझाव दिए गए। विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नियम- 67 के अंतर्गत एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया जो प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव टालने और इस संबंध में चुनाव आयोग से टकराव से संबंधित था या जिस पर सरकार द्वारा सदन का काम रोक कर दो दिन चर्चा की गई और 18 माननीय सदस्यों ने पांच घंटे आठ मिनट तक चर्चा में भाग लिया। चर्चा उपरांत माननीय मंत्री महोदय द्वारा एक घंटे चार मिनट तक चर्चा का उत्तर दिया गया including Hon'ble Chief Minister and Hon'ble Rural Development & Panchayati Raj Minister.

सत्र में दो दिन गैर सरकारी सदस्य दिवस दिनांक 28 नवंबर व 4 दिसंबर निर्धारित थे जिन पर माननीय सदस्यों द्वारा नियम- 101 के अंतर्गत सात गैर सरकारी संकल्प प्रस्तुत किए गए। एक संकल्प सदन द्वारा एडोप्ट किया गया और एक संकल्प सदन में चर्चा उपरांत माननीय सदस्य द्वारा वापस लिया गया। चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा बहुमूल्य सुझाव प्रस्तुत किए गए। एक संकल्प माननीय सदस्य द्वारा सदन में प्रस्तुत किया

05.12.2025/1555/टी0सी0वी0/एच0के0/-2

गया जिसकी चर्चा दूसरे गैर सरकारी सदस्य कार्यदिवस पर होनी थी परंतु सदस्य की अनुपस्थिति के कारण चर्चा न हो सकी और शेष संकल्प भी माननीय सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण सदन में प्रस्तुत नहीं हो सके और स्वयं ही अस्वीकृत हो गए।

नियम- 130 के अंतर्गत दो विषय चर्चा हेतु निर्धारित थे जिनमें से एक प्रस्ताव पर माननीय सदस्यों द्वारा विस्तृत चर्चा की गई और बहुमूल्य सुझाव दिए गए और एक प्रस्ताव सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सदन में प्रस्तुत नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त छह सरकारी विधेयकों को भी सभा में पुरःस्थापित एवं चर्चा उपरांत पारित किया गया। विधेयकों पर माननीय सदस्यों से संशोधन भी प्राप्त हुए जिन्हें समय पर प्राप्त न होने के कारण अस्वीकृत किया गया लेकिन फिर भी मेरे द्वारा उन्हें सदन में चर्चा हेतु स्वीकार किया गया।

दस विधेयक जो पूर्व में सदन द्वारा पारित किए गए थे उन्हें स्वीकृति हेतु माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किए गये थे और स्वीकृति उपरांत सचिव विधान सभा द्वारा सदन के पटल पर रखा गया। एक अध्यादेश भी उद्देश्यों के कथन सहित सदन के पटल पर रखा गया। सभा की समितियों के छह प्रतिवेदन सभा में उपस्थापित किए गए और इसके अतिरिक्त माननीय मंत्रियों द्वारा अपने विभागों से संबंधित दस्तावेज भी सभा के पटल पर रखे गए तथा महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए गए।

आज भी एक विधेयक चर्चा के बाद एक सिलेक्ट कमेटी को सौंपा गया। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के संयुक्त लेखा परीक्षक प्रतिवेदन वर्ष 2025 के प्रतिवेदन संख्या 2 और 3, हिमाचल प्रदेश सरकार तथा हिमाचल प्रदेश राजकीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन वित्तीय वर्ष 2025, हिमाचल प्रदेश फिस्कल रिस्पोंन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट फाइनेंशियल ईयर 2025- 2026 भी सभा पटल पर रखे गए।

सत्र के दौरान मेरा सतत प्रयास रहा कि सत्र की कार्यवाही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चले इसके लिए मैं सदन के नेता माननीय मुख्य मंत्री महोदय और नेता प्रतिपक्ष ठाकुर जयराम जी का धन्यवाद करता हूं और सदन के सभी माननीय सदस्यों का तथा मैं विशेष रूप से **एन0एस0 द्वारा जारी ....**

05-12-2025/1600/NS-HK/1

अध्यक्ष -----जारी

मैं माननीय उपमुख्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने मुझे सदन के संचालन में अपना सहयोग दिया। मैं राज्य सरकार, विधान सभा, जिला प्रशासन, कांगड़ा के अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने दिन-रात कार्यकर इस सत्र से सम्बन्धित कार्य को समयबद्ध तरीके से निपटाने में पूर्ण सहयोग दिया। मैं पुनः प्रशासन के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहूंगा जिन्होंने दिन-रात सदन के संचालन के लिए अपना सहयोग दिया, दिन-रात ड्यूटी देकर सदन के संचालन में अपना सार्थक सहयोग दिया।

मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आतिथ्य सत्कार में कोई कमी नहीं रखी ।

मैं प्रिंट एवं इलैक्ट्रोनिक मीडिया के सभी पत्रकार मित्रों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने विधान सभा की कार्यवाही को प्रदेश के जन-जन तक पंहुचाने में अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाई ।

मेरी ओर से प्रदेशवासियों और माननीय सदस्यों को क्रिसमस व नये वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कंरू, मैं सभा में उपस्थित सभी सदस्यों से निवेदन कंरूगा कि वे राष्ट्रीय गीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें ।

(सभा में उपस्थित सभी राष्ट्रगीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हुए।)

अब इस माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है। धन्यवाद।

धर्मशाला - 176215 **यशपाल शर्मा**
दिनांकः 05 दिसम्बर, 2025 **सचिव।**